



# **COMPENDIUM OF LETTERS FROM THE STATE GOVERNMENT ON THE STRATEGY ON MANAGEMENT OF SEVERELY ACUTE MALNUTRITION IN THE STATE**



# Dr. Nitin Madan Kulkarni

IAS

Mission Director

National Rural Health Mission, Jharkhand

Phone : 0651-2261000, 2261001

Fax : 91-651-2490314, 2261856

E-mail : nrhmjharkhand@yahoo.com



Government of Jharkhand  
Ministry of Health & Family Welfare  
Vaccine Institute, RCH, Namkum, Ranchi

## झारखण्ड सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांक : 9/RCH-299/09-92 (M D)

दिनांक : 10/9/09

प्रेषकः

डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी

अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,

झारखण्ड सरकार

सेवा में

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

सरायकेला / खुंटी / रामगढ़ / हजारीबाग / बोकारो / गुमला / लोहरदगा / सिमडेगा / धनबाद / लातेहार /  
पलामू / गोड्डा / चतरा / गिरिडीह / देवघर / जामताड़ा / कोडरमा / दुमका / साहेबगंज / पाकुड़।

विषय : कुपोषण उपचार केन्द्र (Malnutrition Treatment Centre-MTC) संचालन हेतु आवश्यक सामग्री की आपूर्ति तथा राशि उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC) को सफलता पूर्वक संचालित करने हेतु केन्द्र के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची (संलग्न) आपको भेजी जा रही है। इन सामग्रियों को प्रत्येक MTC को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

MTC संचालन हेतु सामग्रियों की सूची निम्न प्रकार है—

### A. SUPPLY ITEMS REQUIRED FOR MTC FUNCTIONING (SUPPLIED BY UNICEF)

S.N.	Name of the items	Quantity Required MTC
1.	Weight for Height charts	20
2.	Weight for Length charts	20
3.	Adult weighing scale	20



<b>IEC MATERIALS &amp; FORMATS</b>		
S.N.	Name of the items	Quantity Required per MTC
1.	Set of Posters (32 posters) x 2 sets per MTC	40 Sets
2.	Discharge Forms (300 per MTC)	6000
3.	Recording Formats (300 per MTC)	600
4.	Middle Upper Aim Circumference Strips (HSC & AWC wise)	33054
5.	Referral Formats ( 1 Pad=25 pages per HSC & AWC)	33054 Pad
<b>B. SUPPLY ITEMS REQUIRED FOR PER MTC (Type-I)</b>		
1.	Room Thermometer	2
2.	Bed nets	6
3.	Towel/Napkin	50
4.	Pediatrics Sterthoscope	2
5.	Low reading rectal thermometer	5
6.	I.V.drip stand-6	6
7.	Nasogastric Tubes, Size 6, 8, 10	100
8.	Gloves	100
9.	IV line and cannula	100
10.	Oxygen Cylinder with flow meter	2
11.	Covered dustbins-waste disposal	6
12.	Feeding syringes (Disposable)	100
1.	Ceiling Fan (for three rooms) - depending on the size of room	3
2.	Room Sagnage (displaying phone numbers of referral facilities and staff)	1
3.	Electric UV water filter	1
4.	Emergency light	4
5.	Tabnle for weighing and length record of children below 3 years	1
6.	Table for para Medical and Medical Staff	2
7.	Chairs	4
8.	Infant weighing scale	2
9.	Adult weighing scale	1
10.	Weight for Length charts	2
11.	Weight for Height charts	2

उपरोक्त सामग्री जो जिला में मौजुद हो, से इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाये एवं (जो सामग्री जिले में उपलब्ध नहीं है) आवश्यकता के अनुरूप सामग्रियों का क्रय अस्पताल प्रबंधन समिति की राशि से किया जा सकता है।

C. Other expenditures as per MTC					
S.N.	Particulars	Unit cost per child/person (in Rs.)	Total no. of children/ person per month	Rs. One month	Total Rs.
1.	Raw materials for Therapeutic food			3000	36000
2.	Advance treatment other than hospital	250	15	3750	45000
3.	Support to care giver/family member	100	10	30000	360000
4.	Misc. Exp.				25000
					<b>Total</b> <b>466000</b>

MTC के संचालन हेतु राज्य स्तर से (D) से संबंधित खर्च – चिकित्सीय आहार एवं अन्य खर्च के लिए बजट प्रारूप के अनुरूप प्रत्येक जिला को प्रति MTC को 466000 (चार लाख छियासठ हजार) राशि प्रति वर्ष उपलब्ध करायी जा रही है।

विश्वाभाजन

(डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी)

अभियान निदेशक

ज्ञापांक : 92 (M D)

दिनांक : 10 / 9 / 09

#### प्रतिलिपि:

- सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
- श्रीमति संगीता जैकब बाल विकास एवं न्युट्रीशन पदाधिकारी, युनिसेफ को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी)

अभियान निदेशक

**DISTRICT WISE DETAILS OF ANNUAL EXPENDITURE ON MTCs  
ON OTHER EXPENDITURES**

				Budget Break-up		
S.N.	District	Raw materials for Therapeutic food @ Rs. 3000 per month	Advance treatment other than hospital @ Rs. 250 per child for 15 Days = Rs. 3750 per month	Support to care giver/family member for food @Rs. 100 for 15 days=Rs. 1500(1500x2 children/month/bed) 5 beds x 2 children = 10 children/ month	Miscell-enaeous expenditures	Total Annual Ammount
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bokaro	36000	45000	360000	2000	466000
2.	Chatra	36000	45000	360000	2000	466000
3.	Deoghar	36000	45000	360000	2000	466000
4.	Dhanbad	36000	45000	360000	2000	466000
5.	Dumka	36000	45000	360000	2000	466000
6.	Giridih	36000	45000	360000	2000	466000
7.	Godda	36000	45000	360000	2000	466000
8.	Gumla	36000	45000	360000	2000	466000
9.	Hazaribagh	36000	45000	360000	2000	466000
10.	Jamtara	36000	45000	360000	2000	466000
11.	Koderma	36000	45000	360000	2000	466000
12.	Lohardaga	36000	45000	360000	2000	466000
13.	Latehar	36000	45000	360000	2000	466000
14.	Pakur	36000	45000	360000	2000	466000
15.	Palamu	36000	45000	360000	2000	466000
16.	Seraikela	36000	45000	360000	2000	466000
17.	Sahibganj	36000	45000	360000	2000	466000
18.	Simdega	36000	45000	360000	2000	466000
19.	Khunti	36000	45000	360000	2000	466000
20.	Ramgarh	36000	45000	360000	2000	466000
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>720000</b>	<b>900000</b>	<b>7200000</b>	<b>500000</b>	<b>9320000</b>

Total Rupee Ninety three lakhs Twenty thousand only

*Chittaranjan  
10/9/84*

# Dr. Nitin Madan Kulkarni

IAS

Mission Director

National Rural Health Mission, Jharkhand

Phone : 0651-2261000, 2261001

Fax : 91-651-2490314, 2261856

E-mail : nrhmjharkhand@yahoo.com



Government of Jharkhand  
Ministry of Health & Family Welfare  
Vaccine Institute, RCH, Namkum, Ranchi

पत्रांक : 9/RCH-229/09-197(MD)

दिनांक : 6.11.2009

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चि. पदा.

बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गोड़डा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, रामगढ़, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेंगा झारखण्ड।

विषय : MTC (Malnutrition Treatment Center) संबंधी आधारभूत संरचना की अद्यतन स्थिति के संबंध में।

महाशय / महोदया,

उपरोक्त विषय में संबंध में कहना है झारखण्ड में अब तक चार जिलों में Malnutrition Treatment Center (MTC) संचालित है और उसके उत्साहवर्धक नतीजे सामने आए हैं। अगले चरण में अन्य 20 जिलों में भी MTC के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है। राज्य स्तर का दो दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है।

अतः निदेश दिया जाता है कि संबंधित जानकारियाँ संलग्न Format में भर कर सप्ताह के अंदर भेजना सुनिश्चित करें ताकि जिला स्तर पर प्रशिक्षण को शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

इसे अत्यावश्यक समझा जाए।


## Format :

1. जिला का नाम :
2. MTC स्थल का नाम :
3. प्रभारी चि.पदा. का नाम :
4. प्रभारी चि.पदा. का फोन न. :
5. MTC के के लिए स्थल का चयन : हाँ / नहीं
6. MTC में बेड के लिए कमरों की कुल संख्या :
7. रसोईघर की व्यवस्था :
8. गैस चूल्हा एवं सिलिंडर की व्यवस्था :



9. रोगी का स्क्रीनिंग तथा स्टाफ के लिए अलग व्यवस्था :
10. 24 घंटे जल की व्यवस्था :
11. रोगी का स्क्रीनिंग करने हेतु बड़ा टेबल की व्यवस्था :
12. प्रत्येक बेड के साथ रोगी का सामान रखने के लिए टेबल की व्यवस्था :
13. प्रत्येक बेड के साथ माँ को बैठने हेतु मेज की व्यवस्था :
14. शौचालय की व्यवस्था :
15. MTC के लिए चयनित ANM का नाम :
  - i.
  - ii.
  - iii.
- iv.
16. MTC के लिए चयनित सपोर्ट स्टाफ का नाम :
  - i.
  - ii.
17. MTC में विद्युत की व्यवस्था :
18. चयनित ANM के लिए प्रशिक्षण की संभावित तिथि :
19. Referral Cases के लिए जिला स्तर पर CDPO एवं Supervisor के प्रशिक्षण की संभावित तिथि :
20. जिला कोर कमेटी का गठन :
21. MTC को शुरू करने की संभावित तिथि :

विश्वासभाजन



(डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी)

# Dr. Nitin Madan Kulkarni IAS

Mission Director

National Rural Health Mission, Jharkhand

Phone : 0651-2261000, 2261001

Fax : 91-651-2490314, 2261856

E-mail : nrhmjharkhand@yahoo.com



Government of Jharkhand  
Ministry of Health & Family Welfare  
Vaccine Institute, RCH, Namkum, Ranchi

## झारखण्ड सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांक : 9/RCH-299/09-91 (M D)

दिनांक : 10/9/09

प्रेषकः

डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी

अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,

झारखण्ड सरकार

सेवा में,

असैनिक शात्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

सरायकेला / खुंटी / रामगढ़ / हजारीबाग / बोकारो / गुमला / लोहरदगा / सिमडेगा / धनबाद / लातेहार /

पलामू / गोड़डा / चतरा / गिरिडीह / देवघर / जामताड़ा / कोडरमा / दुमका / साहेबगंज / पाकुड़।

विषय : द्वितीय चरण अन्तर्गत राज्य के शेष 20 जिलों में कुपोषण उपचार केन्द्र (Malnutrition Treatment Centre-MTC) खोलने हेतु आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश  
महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में हमारे कार्यालय पत्रांक – 1144(RCH), दिनांक: 3.6.09 के द्वारा झारखण्ड में कुपोषण की स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (NFHS-3) के अनुसार 0-3 वर्ष के बच्चों में अल्प पोषण के परिणाम-स्वरूप Stunted-41%, Wasted-31% तथा Underweight-59% के बारे में जानकारी दी गई थी। यह कुपोषण स्थूल तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों (विटामिन 'ए', आयरन आदि) दोनों के असंतुलन को दर्शाता है। अति गंभीर कुपोषण बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास को स्थायी क्षति पहुंचाते हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह अकाल ग्रस्त इलाकों में गंभीर रूप ले सकती है। इससे बच्चों में मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है।

उपर्युक्त तथ्यों की गंभीरता को समझते हुए झारखण्ड सरकार ने राज्य के अति कुपोषित बच्चों की दर में कमी लाने हेतु युनिसेफ के सहयोग से प्रायोगिक तौर पर प्रथम चरण में राज्य के चार जिले – राँची (2), पूर्वी सिंहभूम (2), पश्चिम सिंहभूम (2), तथा गढ़वा (1) जिलों के चयनित प्रखण्डों में कुल 7 कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC) खोलने का निर्णय लिया। उक्त कार्यक्रम के प्रारंभिक अवस्था में ही प्राप्त परिणाम काफी उत्साहवर्द्धक रहे



उसकी सफलता को देखते हुए सरकार ने द्वितीय चरण में तुरंत राज्य के शेष 20 जिलों में भी एक-एक MTC खोलने का निर्णय लिया है (अनुलग्नक संलग्न)। प्रत्येक जिलान्तर्गत खोले जा रहे MTC के लिए सिविल सर्जन / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे।

राज्य के सभी चयनित 20 जिलों के सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 16 सितम्बर 2009 से चयनित क्षेत्र में MTC को क्रियान्वित करने हेतु जिलान्तर्गत सभी बुनियादी सुविधाएं यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाये, जो इस प्रकार है—

मानव संसाधन एवं आंतरिक संरचना —

क. कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC) खोलने के लिए कम से कम तीन सुसज्जित विद्युतीकृत कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए।

1. एक कमरा जिसमें 6 बेड की व्यवस्था — जिसमें प्रत्येक बेड के साथ साईड टेबल, गददा, चादर, कंबल, मच्छरदानी, रबर सीट, तकिया तथा तौलिया की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
2. दूसरा कमरा — अति कुपोषित बच्चों के स्क्रीनिंग हेतु तथा
3. तीसरा कमरा — रसोईधर के रूप में जहाँ चिकित्सीय आहार (Therapeutic food - Formula-75, Formula-100) तैयार की जा सके तथा साथ ही 24 घंटे पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

ख. MTC को संचालित करने हेतु —

1. एक चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति अति आवश्यक है जो गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों को नियमित रूप से चिकित्सीय सेवा देने हेतु उपलब्ध रहेंगे तथा वही चिकित्सक MTC के प्रभारी भी होंगे।
2. जिले में कार्यरत अनुबंध पर आधारित 4 पारा मेडिकल स्टाफ — ए.एन.एम. की प्रतिनियुक्ति 24 X 7 पर आधारित तथा साफ-सफाई हेतु — 2 सहायक कर्मचारी। प्रत्येक ए.एन.एम. को 8 घंटे की डियुटी रोस्टर के आधार पर देनी होगी। उक्त प्रतिनियुक्त की गई सभी ए.एन.एम सिर्फ MTC के लिए ही कार्य करेंगी।

ग. डिस्प्ले बोर्ड की व्यवस्था — MTC पर डिस्प्ले बोर्ड ऐसी जगह पर लगाया जाना चाहिए जहाँ आम आदमी की नजर उस पर स्पष्ट दिखाई पड़े।

विश्वासभाजन

*MDCOM १०/१०/०५*  
(डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी)  
अभियान निदेशक

ज्ञापांक : 91(MD)

दिनांक : 10/9/09

प्रतिलिपि:

1. सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित
2. श्रीमति संगीता जैकब, बाल विकास एवं न्युट्रीशन पदाधिकारी, युनिसेफ को सूचनार्थ प्रेषित।


*MDCOM १०/१०/०५*  
(डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी)  
अभियान निदेशक

**Listy of MTC to be replicate in the Phase II by the State Government in 20 districts**

S.N.	District	MTC to be open in
1.	Bokaro	Chas
2.	Chatra	Sadar Hospital
3.	Deoghar	Sadar Hospital
4.	Dhanbad	Topchanchi
5.	Dumka	Sadar Hospital
6.	Giridih	Sadar Hospital
7.	Godda	Sadar Hospital
8.	Gumla	Sadar Hospital
9.	Hazaribagh	Sadar Hospital
10.	Jamtara	Sadar Hospital
11.	Koderma	Sadar Hospital
12.	Lohardaga	Sadar Hospital
13.	Latehar	Sadar Hospital
14.	Pakur	Sadar Hospital
15.	Palamu	Sadar Hospital
16.	Seraikela Kharsawan	Sadar Hospital
17.	Sahibganj	Sadar Hospital
18.	Simdega	Sadar Hospital
19.	Khunti	Sadar Hospital
20.	Ramgarh	Sadar Hospital

*✓ 10/10/2024*





## झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति

### स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

पत्रांक : 9/RCH-299/09-168 (MD)

राँची, दिनांक : 26/10/2009

प्रेषक,

अभियान निदेशक, भा.प्रा.सं.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

झारखण्ड राँची।

सेवा मे,

शाखा प्रबंधक

पंजाब नेशनल बैंक

मेन रोड, राँची

विषय : जिलों में RTGS से से राशि भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषयक के संबंध में कहना है कि Jharkhand State Rural Health Mission Society के खाता संख्या 304400010098799 से निम्न जिलों के सामने अंकित राशि RTGS से राशि उपलब्ध कराने हेतु तथा जिनका RTGS Cods No. नहीं है, उसे ड्राफ्ट निर्गत करने की कृपा करें।


<b>Sl. No.</b>	<b>Name of Dist.</b>	<b>Bank A/c No.</b>	<b>RTGS Code No.</b>	<b>Amount</b>
1.	Bokaro	2426000100252527	PUNB0242600	4,66,000
2.	Chatra	481410110001636	BKID0004814	4,66,000
3.	Deoghar	446110210000033	BKID0004461	4,66,000
4.	Dhanbad	1515000105128368	PUNB0151500	4,66,000
5.	Dumka	5001248338	ALLA211072	-
6.	E.Simbhum	30399344535	SBIM0001877	-
7.	Garhwa	4051001700090591	PUNB405100	4,66,000
8.	Godda	30430016927	SBIN0001434	4,66,000
9.	Giridih	50013555627	ALLA0210708	4,66,000
10.	Gumla	491310100067003	BKIB0004913	4,66,000
11.	Hazaribagh	481010210000014	BKID0004810	4,66,000
12.	Jamtara	5782	Core Banking Problem	4,66,000

*[Signature]*  
[Date]

13.	Khunti	30396413093	SBIN0001097	4,66,000
14.	Kodarma	30417884619	SBIN0003592	4,66,000
15.	Latehar	30396233123	SBIN0001062	4,66,000
16.	Lohardaga	491810100016407	BKID0004918	4,66,000
17.	Palamu	0107000190950426	PUNB0010700	4,66,000
18.	Pakur	30736471426	SBIN0003788	4,66,000
19.	Ramgarh	00160100016325	BARBORAMGAR012	4,66,000
20.	Ranchi	499310210000002	BDID0004993	-
21.	Sahebganj	30587286431	SBIN0005613	
22.	Saraikela	30761779803	SBIN0005613	4,66,000
23.	Saraikela	30761779803	SBIM0001092	4,66,000
24.	Simdega	305823506	SBIN0001091	4,66,000
25.	W.Simbhum	451010110000007	IFSCDKID, 0004510	-

विश्वभाजन

  
राज्य आर.सी.एच पदाधिकारी  
नामकुम, राँची।


  
अभियान निदेशक, भा.प्रा.से.  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन  
झारखण्ड, राँची।


ज्ञापांक : 168 (MD)

दिनांक : 26.10.2009

प्रतिलिपि:

- सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
- सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड को सूचनार्थ यह राशि MTC संचालन \_\_\_\_\_ हेतु भेजी जा रही है।

  
राज्य आर.सी.एच पदाधिकारी  
नामकुम, राँची।

  
अभियान निदेशक, भा.प्रा.से.  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन  
झारखण्ड, राँची।

# आराधना पटनायक

भा.प्र.से.

## अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड

फोन : 91-651-2261000, 2261001

फैक्स : 91-651-2490314, 2261856

ईमेल : nrhmjharkhand@yahoo.com



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

झारखण्ड सरकार

राजकीय टीकौषणि संस्थान परिसर

आर.सी.एच. नामकुम, रांची - 834010

पत्रांक : 9/RCH/407/2010-1229(MD)

दिनांक : 10.10.2010

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन

झारखण्ड

विषय : जिलों में Malnutrition Treatment Centre (MTC) हेतु राशि निर्गत करने के संबंध में।

महाशय, उपर्युक्त विषयक् के संबंध में कहना है कि Jharkhand State Rural Health Mission Society के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नामकुम, राँची के खाता संख्या 30066006978 से निम्न जिलों के सामने अंकित राशि RTGS से भेजी जा रही है। यह राशि जिलों में Malnutrition Treatment Centre (MTC) के लिए भेजी जा रही है, जिसकी बजट विवरणी संलग्न है। सभी सिविल सर्जन राशि प्राप्ति के पश्चात इसका खर्च ससमय करने के उपरान्त SOE राज्य मुख्यालय को निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

Sl. No.	Name of Dist.	Bank A/c No.	RTGS Code No.	Amount
1	DRHS-Bokaro	2426000100252527	PUNB242600	529000.00
2	DRHS-Chatra	581410110001636	BKID0004814	529000.00
3	DRHS-Deoghar	31104693565	SBIN0000064	529000.00
4.	DRHS-Dhanbad	151000105128368	PUNB0151500	1072000.00
5.	DRHS-Dumka	50012484338	ALLA0211072	1072000.00
6.	DRHS-E.Sing.	30399344535	SBIN0001877	1047000.00
7.	DRHS-Garhwa	4051001700090591	PUNB0405100	529000.00
8.	DRHS-Godda	30430016927	SBIN0001434	529000.00
9.	DRHS-Giridih	50013555627	ALLA0210708	529000.00
10.	DRHS-Gumla	491310100067003	BKID0004913	1072000.00
11.	DRHS-Hararibagh	481010210000014	BKID0004810	1072000.00
12.	DRHS-Jamtara	30978259313	SBIN0006544	529000.00
13.	DRHS-Khunti	30396413093	SBIN0001097	529000.00
14.	DRHS-Kodarma	30417884619	sbm0003592	529000.00
15.	DRHS-Latehar	30396233123	SBIN0001062	1072000.00
16.	DRHS-Lohardaga	491810100016407	BKID0004918	529000.00
17.	DRHS-Palamu	0107000190950426	PUNB0010700	1072000.00



**Allotment of fund for MTC Centers for FY 2010-11 (6 months)**

<b>District</b>	<b>1st Phase MTCs (27)</b>	<b>Operational Cost</b>	<b>2nd Phase MTCs (21)</b>	<b>Infrastructure of Program Activity Cost</b>	<b>10 Additional Beds in 10 MTCs</b>	<b>Infrastructure &amp; Program Activity Cost</b>	<b>Fund to be allocated</b>
Bokaro	1	252000	1	277000			529000
Chatra	1	252000	1	277000			529000
Deoghar	1	252000	1	277000			529000
Dhanbad	1	252000	1	277000	1	543000	1072000
Dumka	1	252000	1	277000	1	543000	1072000
E.Singhbhum	2	504000		0	1	543000	1047000
Garhwa	1	252000	1	277000			529000
Giridih	1	252000	1	277000			529000
Godda	1	252000	1	277000			529000
Gumla	1	252000	1	277000	1	543000	1072000
Hazaribagh	1	252000	1	277000	1	543000	1072000
Jamtara	1	252000	1	277000			529000
Khunti	1	252000	1	277000			529000
Kodarma	1	252000	1	277000			529000
Latehar	1	252000	1	277000	1	543000	1072000
Lohardaga	1	252000	1	277000			529000
Pakur	1	252000	1	277000	1	543000	1072000
Palamu	1	252000	1	277000	1	543000	1072000
Ramgarh	1	252000	1	277000			529000
Ranchi	2	504000		0	1	543000	1047000
Sahibganj	1	252000	1	277000			529000.00
Saraikela	1	252000	1	277000			529000
Simdeha	1	252000	1	277000			529000
W.Singhbhum	2.	504000		0	1	543000	1047000
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>6804000</b>	<b>21</b>	<b>5817000</b>	<b>10</b>	<b>5430000</b>	<b>18051000</b>

## STATE OF MALNUTRITION TREATMENT CENTRE (MTC) IN JHARKHAND

### List of MTCs

Sl. No.	Districts	1st Phase operationalized MTCs	MTCs	10 additional beds in 10 MTCs
<b>Location</b>				
1.	W.Singhbhum	Jagarnathpur	Sadar	✓
2.	Ranchi	Mandar	Sadar	✓
3.	E. Singhbhum	Gharshila	PKS, Telco colony	✓
<b>2nd Phase Proposed MTC</b>				
4.	Garhwa	Nagar untari	Sadar Hospital	
5.	Deoghar	Sadar hospital,	Jasidih	
6.	Gumla	Sadar hospital,	Raidih	✓
7.	Godda	Mahgama	Poriyahat	
8.	Jametara	Sadar Hospital	Nala	
9.	Dhanbad	Topchanchi	Tundi	✓
10.	Sahebganj	Sadar Hospital	Barhet	
11.	Simdega	Thethai Tangar	Kolebira	
12.	Giridih	Sadar Hospital	Rajdhanwar	
13.	Latehar	Chanwa	Mahuadanr	✓
14.	Chatra	Sadar Hospital	Pratappur	
15.	Ramgarh	Bhareh nagar	Gola	
16.	Bokaro	Ref. Hospital chas	Tenughat	
17.	Saraikela	Sadar Hospital	Chandil	
18.	Palamu	Chainpur	Hussainabad	✓
19.	Dumka	Diagnostic centre, Dumka,	Ref. Hospital, Jarmundi	✓
20.	Khunti	Sadar Hospital	Torpa	
21.	Pakur	Sadar Hospital	Littipara	✓
22.	Hazaribagh	Sadar hospital	Keredari	✓
23.	Lohardaga	Sadar Hospital	Kuru	
24.	Koderma	Sadar Hospital	Domchanc	


### MALNUTRITION TREATMENT CENTRE (MTC)

S.No.	Activity	Unit	Expenditure per month	Required & months expenditure	Remarks
A	INFRASTRUCTURAL				
i.	Kitchen items & equipments	1	10000	10000	gone time activity
ii.	Items for furnishing of Wards	1	15000	15000	
iii.	Child friendly MTC, wall painting (picture of Animals and Bird, toys.)		25000	25000	
B.	PROGRAMME ACTIVITIES				
i.	Raw Materials	Rs. @ 25/- child/day*10 children * 30 days	3750	22500	
ii.	Record maintenance and photography of each child admitted in MTC	Rs. @ 2000/- per month	2000	12000	
iii.	Support to family members with cage compensation	Rs. @ 100/- per day x 30 days x families	30000	180000	
iv.	Provision for misc. expenditures, cleaning materials, gas refilling, xerox, stationery etc.	Rs. @ 2500/- per month	2500	15000	
	Advance treatment other than hospital	Rs. @ 250/- per child for 15	3750	225000	
			<b>42000</b>	<b>252000</b>	
	<b>Total</b>		<b>67000</b>	<b>277000</b>	
	Total Budget for 21 new MTCs			5817000	

**Additional Budget for 10 bed in 10 existing MTCs.**

S.No.	Activity	Unit	Expenditure per month	Required & months expenditure per unit	Remarks
<b>A. INFRASTRUCTURAL</b>					
i.	Kitchen items & equipments	1	5000	5000	one time activity
ii.	Items for furnishing of Wards	1	25000	25000	
iii.	Child friendly MTC, wall painting (picture of Animals and Bird, toys.)				
			30000	30000	
<b>B. PROGRAMME ACTIVITIES</b>					
i.	Raw Materials	Rs. @ 25/- child/day*10 children * 30 days	15000	90000	
ii.	Record maintenance and photography of each child admitted in MTC	Rs. @ 2000/- per month	3000	18000	
iii.	Support to family members with cage compensation	Rs. @100/per day x 30 days x families	60000	360000	
iv.	Provision for misc. expenditures, cleaning materials, gas refilling, xerox, stationery etc.	Rs. @2500 per month	2500	15000	
	Advance treatment other than hospital	Rs. @250 per child for 20 children	5000	30000	
	<b>Total</b>		<b>85500</b>	<b>513000</b>	
	Total Budget for 21 new MTCs	Total additional Budget for 10 bed in existing 10 MTCs	<b>115500</b>	<b>543000</b>	
				<b>5430000</b>	





## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

### झारखण्ड, राँची

पत्रांक : 9/RCH-73/11-1265/11(RCH) D

दिनांक : 2.7.11

प्रेषक,  
डॉ. प्रवीण चन्द्र,  
निदेशक प्रमुख,  
स्वास्थ्य सेवाएं  
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति,  
नामकुम, राँची।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी  
पश्चिमी सिंहभूम/पूर्वी सिंहभूम/राँची/चतरा।

**विषय :** कुपोषण उपचार केन्द्र अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य हेतु मेडिकल/पारा मेडिकल कर्मियों को पुरस्कृत करने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 04.07.2011 को पूर्वाहन 11:00 बजे होटल कैपिटल हिल, राँची में मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड (MCP Card) के विमोचन संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उक्त कार्ड का विमोचन श्री हेमलाल मुर्मू माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, झारखण्ड सरकार द्वारा कुपोषण प्रबन्ध पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुपोषण उपचार केन्द्रों के निम्नलिखित चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पारा मेडिकल कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाना है।

क्र.	चिकित्सा पदाधिकारी/ए.एन.एम. का नाम	कुपोषण उपचार केन्द्र
1.	डॉ. जगन्नाथ हेम्ब्रम, चिकित्सा पदाधिकारी	कुपोषण उपचार केन्द्र, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम)
2.	डॉ. प्रीन्स पिंगुवा, चिकित्सा पदाधिकारी	कुपोषण उपचार केन्द्र, जगन्नाथपुर (पश्चिमी सिंहभूम)
3.	डॉ. विजय कुमार गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी	कुपोषण उपचार केन्द्र, माण्डर (राँची)
4.	डॉ. एस.आर.डांगी, चिकित्सा पदाधिकारी	कुपोषण उपचार केन्द्र, चतरा (चतरा)
5.	सुश्री मंजुलता टुड़ू ए.एन.एम.	कुपोषण उपचार केन्द्र, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम)
6.	सुश्री हेमन्ती बिरुवा, ए.एन.एम.	कुपोषण उपचार केन्द्र, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम)
7.	सुश्री संगीता बाड़ा, ए.एन.एम.	कुपोषण उपचार केन्द्र, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम)

क्र.	चिकित्सा पदाधिकारी / ए.एन.एम. का नाम	कुपोषण उपचार केन्द्र
8.	सुश्री कैथरिना धनवार, ए.एन.एम.	कुपोषण उपचार केन्द्र, चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम)
9.	सुश्री झालो कुमारी, ए.एन.एम.	कुपोषण उपचार केन्द्र, माण्डर (राँची)
10.	सुश्री सविता कुमारी, ए.एन.एम.	कुपोषण उपचार केन्द्र, माण्डर (राँची)
11.	सुश्री दिपिका एकका, ए.एन.एम.	कुपोषण उपचार केन्द्र, माण्डर (राँची)
12.	सुश्री अंजु केरकेटा, ए.एन.एम.	कुपोषण उपचार केन्द्र, माण्डर (राँची)
13.	याश्मीन परवीन, ए.एन.एम.	कुपोषण उपचार केन्द्र, परि.क.संस्थान (पूर्वी सिंहभूम)
14.	रविन्द्र कौर, ए.एन.एम.	कुपोषण उपचार केन्द्र, परि.क.संस्थान (पूर्वी सिंहभूम)
15.	श्रीमती रिंकु मुखर्जी, ए.एन.एम.	कुपोषण उपचार केन्द्र, घाटशिला (पूर्वी सिंहभूम)

अतः निर्देश दिया जाता है कि उपांकित कार्यशाला में आपके जिलान्तर्गत कुपोषण उपचार केन्द्रों के चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पारामेडिकल कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

(निदेशक प्रमुख)

प्रतिलिपि :—

- अभियान निदेशक, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झघरखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रीमती संगीता जैकब, पोषण विशेषज्ञ, युनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
- राज्य सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पोषण कोषांग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(निदेशक प्रमुख)



## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड रांची।

पत्रांक : 9/RCH-512/09-1183/11(D)(RCH)

दिनांक : 22.6.11

प्रेषक,  
निदेशक प्रमुख,  
स्वास्थ्य सेवाएँ,  
झारखण्ड रांची।

सेवा में,  
सदस्य,  
राज्य स्तरीय तकनीकि कोर टीम  
झारखण्ड।

**विषय :** कुपोषण उपचार केन्द्र को सुचारू रूप से चलाने हेतु राज्य स्तरीय तकनीकि कोर टीम के गठन के संबंध में।

महाशय,

झारखण्ड राज्य में अति गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के उद्देश्य से खोले गये कुपोषण उपचार केन्द्र/कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र एक अभिनव पहल है। कुपोषण उपचार केन्द्र/कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र द्वारा गुणवत्तायुक्त सेवाएं प्रदान करने हेतु उक्त सेवा से जुड़े चिकित्सा पदाधिकारियों तथा कर्मियों की दक्षता वृद्धि से संबंधित आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रदान करना, उनके कार्य के दौरान मार्गदर्शन देना, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण एवं सतत् निगरानी अति आवश्यक पहलू है। इन्हीं तत्त्वायों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित सूची के अनुसार State Level Technical Core Team के सदस्यों का चयन किया गया है।

सदस्यों की सूची निम्नवत् है:

क्र.सं.	State Level Technical Core Team के सदस्य का नाम	
1.	Dr. R.N.Jha	MO PHC, Bandgoan, W.Singhbhum
2.	Dr. B.K.Shrivastav	Retd. Dy. Suptd cum Chief Dietian, RIIMS
3.	Dr. R.C.Jha	MO, Sadar Hospital, Pakur
4.	Dr. Geeta Kanth	Retd. C.S.Ranchi
5.	Dr. Dina Nath Singh	MO Sagdar, Lohardaga
6.	Dr. P.R.Tirkey	MO, YMCA
7.	Dr. R.L.Rajak	Dy Superintendent, Sadar Hospital, Koderma
8.	Dr. Pranav	MO, Sadar Hospital, Lohardaga

क्र.सं.	State Level Technical Core Team के सदस्य का नाम	
9.	Dr. Vidyanand Choudhary	MOIC, PHC Silli, Ranchi
10.	Dr. Ajay Kumar Singh	MO, PHC Chainpur
11.	Dr. Anil Kumar	MO, PHC Namkum, Ranchi
12.	Dr. J.Manjhi	MO, Chandil, Saraikela
13.	Dr. Akhilesh Kumar	MO, Lohardaga
14.	Dr. Amar Kumar Mishra	MO, Sadar Hospital, Gumla
15.	Dr. Ritesh Chawhan	MO, PHC Topchachi, Dhanbad
16.	Dr. U.P.Singh	Retd. C.S.Dhanbad
17.	Dr. K.K.Saah	MOIC, Urban F.P.Centre Hazaribagh
18.	Dr. V.K.Prasad	Retd. Health Director
19.	Dr. P.Mohan	Retd. Health Director
20.	Dr. Mukesh	B.N.H.E. Singhbhum
21.	Dr. Anil Kumar	MO, Nepal House, Doranda, Ranchi
22.	Dr. U.C.Sinha	MO, T.B.Sanatorium, Itki
23.	Dr. Maheshwar Prasad	Dist. RCHO, Sahebgan

State Level Technical Core Team के सभी सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि जिलों में भ्रमण के दौरान कुपोषण उपचार केन्द्र में जाकर सहयोग प्रदान करेंगे।

विश्वासभाजन

(डॉ. प्रवीण चन्द्र)

निदेशक प्रमुख

स्वास्थ्य सेवाएं


ज्ञापांक : 1189/11(D) (RCH)

दिनांक : 22.6.11

#### प्रतिलिपि:

1. अपर मुख्य सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अभियान निदेशक, झारखण्ड, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी निदेशक/सभी अपर निदेशक/सभी उप निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं)/अपर निदेशक (प्रशिक्षण)/उपाधीक्षक/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य प्रशिक्षण परामर्शी को सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमति संगीता जैकब, पोषण विशेषज्ञ, युनिसेफ झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा आपसे अनुरोध है कि आपके जिलों के लिए चयनित राज्य स्तरीय कोर टीम के सदस्यों को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।
7. राज्य सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पोषण कोशांग के सभी समन्वयक को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. प्रवीण चन्द्र)



## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड राँची।

पत्रांक : 9/RCH-73/2011-532/11(D)(RCH)

दिनांक : 16.5.11

प्रेषक,  
डॉ. प्रवीण चन्द्र,  
निदेशक, स्वास्थ्य,  
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति,  
नामकुम, राँची।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी  
पाकुड़ / खुंटी / हजारीबाग / राँची / कोडरमा / लोहरदगा / सरायकेला / मुमला / पश्चिमी सिंहभूम / धनबाद /  
पलामू।

विषय : दिनांक 23–25 मई 2011 तक कुपोषण उपचार से संबंधित State Core Technical Resource Persons के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि 0–5 वर्ष के बच्चों में मृत्यु के 53 प्रतिशत कारणों में कुपोषण भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रमुख कारक है। कुपोषण हमारे बाल मृत्यु दर को प्रभावित करता है। झारखण्ड राज्य में कुपोषण के उचित प्रबंधन हेतु कुल 48 कुपोषण उपचार केन्द्र (प्रत्येक जिले में 2–2 इकाई) 2009 से संचालित है (जिलावार सूची संलग्न)। उक्त कुपोषण उपचार केन्द्रों में 0–5 वर्ष के अति गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण का समुचित प्रबंधन डब्लू.एच.ओ. प्रोटोकॉल के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक कुपोषण उपचार केन्द्रह पर सरकार द्वारा 4 प्रशिक्षित ए.एन.एम एवं 1 प्रतिशक्ति चिकित्सा पदाधिकारी की प्रतिनिपुणता की गयी है, जिनकी देख-रेख एवं निगरानी में अति गंभीर कुपोषित बच्चों का उपचार किया जाता है।

कुपोषण उपचार केन्द्रों के सेवाओं के Quality Improvement हेतु कर्मियों को समय—समय पर क्षमता वृद्धि की नितांत आवश्यकता होती है। इस कार्य हेतु State Level Technical Core Committee का गठन किया गया है (सूची संलग्न)

State Core Technical Resource Persons का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 23 मई 2011 से 25 मई 2011 तक होटल राँची अशोक में पूर्वाहन 10:00 बजे से किया गया है। राँची जिले के बाहर के प्रतिभागियों के आवासन की व्यवस्था होटल राँची, अशोक में किया गया है। प्रतिभागियों के यात्रा भत्ता एवं डी.ए. का भुगतान युनिसेफ के सहयोग से किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी एवं आवासन संबंधी आरक्षण के लिए श्री सुजीत कुमार सिन्हा, 09431392234 एवं श्रीमती मधुलिका शर्मा

09934115631 राज्य समन्वयक, से सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी संलग्न सूची के अनुसार जिले के State Core Technical Resource Persons को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु दिनांक 22.05.2011 के अपराह्न से विरमित सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(डॉ. प्रवीण चन्द्र)

निदेशक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवाएं झारखण्ड

ज्ञापांक : 832/11(D) (RCH)

दिनांक : 16.5.22

**प्रतिलिपि:**

1. डॉ. अजीत कुमार प्रसाद, उप निदेशक, स्वास्थ्य को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमती संगीता जैकब, पोषण विशाषज्ञ, युनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री राजन, राज्य कार्क्रम प्रबन्धक, एन.आर.एच.एम., झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमती सुचन्द्रा पाण्डा, राज्य प्रशिक्षण कन्सलटेन्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. डॉ., ..... State Core Technical Resource Persons को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपांकित आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना सुनिश्चित करें।
6. राज्य सुक्ष्म पोषक तत्व एवं पोषण कोषांग, आर.सी.एच. नामकुम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(डॉ. प्रवीण चन्द्र)

निदेशक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवाएं झारखण्ड

## LIST OF STATE CORE TECHNICAL RESOURCE PERSONS FOR MTC/MTEC

<b>Sl. No.</b>	<b>Name</b>	<b>District</b>	<b>Mobile No.</b>
1.	Dr. R.C.Jha	MO, Sadar Pakur (Pakur)	9431176471
2.	Dr. Prabhat	ACMO, Khunti (Khunti)	9470527037
3.	Dr. K.K.Sharma	Hazaribagh	
4.	Dr. V.N.Choudharay	MOIC Silli (Ranchi)	9431983553
5.	Dr. U.C.Sinha	T.B., Hospital Itki (Ranchi)	
6.	Dr. Jasika Dean	Ranchi	9835332960
7.	Dr. R.L. Rajak	DS, Koderma (Koderma)	
8.	Dr. Akhilesh Kumarq	MO Lohardaga (Lohardaga)	
9.	Dr. Rahul Ranjan	Saraikela (Seraikela-Kharswan)	9431589378
10.	Dr. Aman Kumar Mishra	Gumia	
11.	Dr. Sion Kerketta	MO, W.Singhbhum	9431355583
12.	Dr. Titesh Kumar	Topchanchi (Dhanbad)	
13.	Dr. Pranav	Lohardaga	9473287273
14.	Dr. G.S.Patar (Ret.)	Ranchi	9431108115
15.	Dr. Anil Kumar	MO, Ranchi	947066778
16.	Dr. P.P.Sah	MO, Sonahatu (Ranchi)	9431584921
17.	Dr. Monika	MO Khunti (Khunti)	
18.	Dr. Dilip Kumar Paswan	Chango, Ranchi	9431729773
19.	Dr. Ajay Kumar	MO, Chainpur, Palamu	9431554666
20.	Dr. Dina Nath (MO)	Lohardaga Sadar	9835357873
21.	Dr. R.N.Jha (MO)	W.Singhbhum	9431180637
22.	Dr. Maheshwar Prasad	Jamshedpur	9431186123
23.	Dr. L.B.Singh (Ret.)	Ranchi	
24.	Dr. Mukesh	Jamshedpur	9934183921
25.	Dr. Vijay Kumar (Ref.)	Ranchi	



डॉ. प्रवीण चन्द्र

निदेशक

स्वास्थ्य सेवाएं झारखण्ड

### List of MTC and MTEC - Jharkhand

Sl.No.	Division	District	MTC location
1.	North Chotanagpur	Hazaribag	Sadar
2.			Keradari
3.			Keradari (MTEC)
4.		Ramgarh	Bharechnagar
5.			Gola
6.		Chatra	Sadar
7.			Pratapur
8.		Kodarma	Sadar
9.			Domchanch
10.		Dhanbad	Topchanchi
11.			Tundi
12.			Tundi MTEC
13.		Giridih	Sadar
14.			Rajdhanwar
15.		Bokaro	Sadar
16.			Gomia
17.	Santhal Pragana	Dumka	Sadar
18.			Jarmundi
19.			Sadar (MTEC)
20.		Godda	Mahagama
21.			Poriyahat
22.		Jamtara	Sadar
23.			Nala
24.		Shaibgunj	Sadar
25.			Nala
26.		Pakur	Sadar
27.			Littepara
28.			Sadar (MTEC)
29.		Deoghar	Sadar
30.			Jasidih
31.	Ranchi	Ranchi	Mandar
32.			Bundu
33.			Mandar (MTEC)
34.		Khunti	Sadar
35.			Torpa
36.		Gumla	Sadar
37.			Raidih
38.			Sadar (MTEC)
39.		Lohardaga	Bhandra
40.			Kuru
41.		Simdega	Thethaitangar
42.			Kolebera

43.	Kolahari	W.Singhbhum	Chaibasa Sadar
44.			Jagannathpur
45.			Sadar (MTEC)
46.		E.Singhbhum	Ghatsilla
47.			P.K.S Tata
48.			Behragora
49.			Behragora (MTEC)
50.		Saraikela	Sadar
51.			Chandil
52.	Palamu	Palamu	Chainpur
53.			Husainabad
54.			Chainpur (MTEC)
55.		Latehar	Chandwa
56.			Mahuadar
57.			Chandwa (MTEC)
58.		Garhwa	Nagar Untari
59.			Sadar
			<b>Total</b>



# आराधना पटनायक

भा.प्र.से.

## अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड

फोन : 91-651-2261000, 2261001

फैक्स : 91-651-2490314, 2261856

ईमेल : nrhmjharkhand@yahoo.com

पत्रांक : 9/RCH-431/2010-1155(MD)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

झारखण्ड सरकार

राजकीय टीकौषणि संस्थान परिसर

आर.सी.एच. नामकुम, राँची - 834010



सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक राह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

सरायकेला / खूंटी / रामगढ़ / हजारीबाग / बोकारो / गुमला / लोहरदगा / सिमडेगा / धनबाद /  
गिरिडीह / देवघर / जामताड़ा / कोडरमा / चतरा / लातेहार / पलामू / गढ़वा / गोड़डा / दुमका /  
साहेबगंज / पाकुड़।

विषय : राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में MTC से संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी तथा पारा मेडिकल स्टाफ (ए.एन.एम.)  
की भागीदारी सुनिश्चित कराने के संबंध में।

महाशय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य में तृतीय चरण के दौरान खोले गये, रामी  
कुपोषण उपचार केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित है।

1. यह प्रशिक्षण दिनांक 28.09.2010—30.09.2010 तक तीन दिनों का होगा।
2. यह एक आवासीय प्रशिक्षण है।
3. यह प्रशिक्षण राँची के Hotel Green Park, Near Parijat Community Hall, Bardwan Compound, Lalpur,  
Ranchi (Ph. No. 0651-2560031-32, Mob-9955937078) में आयोजित है।
4. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में MTC के नव नियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।
5. कोडरमा, लोहरदगा, साहेबगंज तथा रामगढ़ जिला के MTC के के वि.पदा. ने जुलाई 10 में चिकित्सकों के  
लिए आयोजित की गयी प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया था। अतः उनका भी इस प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य  
है।

उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त पारा मेडिकल स्टाफ (ए.एन.एम.) का भी प्रशिक्षण आयोजित है।

1. यह प्रशिक्षण दिनांक 1—3 अक्टूबर 2010 तक तीन दिनों का होगा।
2. यह एक आवासीय प्रशिक्षण है।
3. यह प्रशिक्षण राँची के Social Development Center (SDC), Near St Alloys Boys School, Purulia Road,  
Ranchi (Ph. No. 0651-2201201) में आयोजित है।
4. इसके अतिरिक्त यदि किसी जिले के पारा मेडिकल स्टाफ जो जुलाई माह में आयोजित की गयी प्रशिक्षण  
में किसी कारणवश भाग नहीं ले पायी थी उनका भी इस प्रशिक्षण में भाग लेना आनिवार्य है।



अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि आपके जिलान्तर्गत खोले गये नये कुपोषण उपचार केन्द्र के नव नियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी एवं सभी पारा मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे। सिविल सर्जन प्रतिभागी को निरमित करने वाले पत्र की एक प्रतिलिपि अधोहरताक्षरी के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिभागी यदि विरमित होने के बाद भी प्रशिक्षण में भाग नहीं लेते हैं तो जितने दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा उनके उतने दिन के वेतन में कटौती की जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि यदि किसी नये MTC में बच्चा भर्ती हो तो आपके जिलान्तर्गत पुराने MTC की दो ए.एन.एम को प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे ताकि नये MTC का कार्य बाधित न हो।

प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए श्री विनय कुमार सिंह Ph. No. 9431186606 एवं श्री सुजीत कुमार सिन्हा, Ph. No. 9431392234 से संपर्क कर सकते हैं।

विश्वासभाजन

(आराधना पटनायक)

ज्ञापांक – 1155 (MD)

दिनांक : 23.09.2010

#### प्रतिलिपि:

- संबंधित जिले के Deputy Commissioner को सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित जिले के District RCH Officer (Nodal Officer, Training) को सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित जिले के District Programme Management Unit (DPMU) को सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रीमती संगीता जैकब, बाल विकास एवं पोषण पदाधिकारी, युनिसेफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- राज्य सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पोषण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। सभी समनायक अपने अपने प्रमंडल के MTC In-charge एवं ANM का प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

(आराधना पटनायक)



## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांक : 926 (MD)

दिनांक : 14.09.2010

प्रेषकः

आराधना पटनायक

अभियान निदेशक

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

झारखण्ड, रांची

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

रांची / पू.सिंहभूम / प. सिंहभूम / सरायकेला / खुंटी / रामगढ़ / हजारीबाग / बोकारो / गुमला / लोहरदगा / सिमडेगा / धनबाद / गिरिडीह / देवघर / जामताड़ा / कोडरमा / चतरा / लातेहार / पलामू / गढ़वा / गोडडा / दुमका / साहेबगंज / पाकुड़।

विषय : “MTC प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी तथा पारा मेडिकल स्टाफ (ए.एन.एम.) के लिए आयोजित प्रशिक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने के संबंध में”

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि कुपोषण उपचार केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों का तीन दिवसीय Refresher Training cum exposure visit परिचयी सिंहभूम (चाईबासा), विकास भवन के सभागार में दिनांक – 20.07.2010 से 22.07.2010 तक आयोजित की जायेगी जिसमें राज्य के समस्त कुपोषण उपचार केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों की उपरिथिति अनिवार्य है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए भोजन एवं आवासन की व्यवस्था युनिसेफ द्वारा की गयी है। प्रशिक्षण स्थल अथवा आवासन स्थल पर पहुंचने संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु श्री निर्मल दास – जिला कार्यक्रम प्रबंधक, मोबाइल नं.– 9204780369 तथा जिला समन्वयक – श्री विकास कुमार, मोबाइल न. 8051030010 से संपर्क किया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त पारा मेडिकल स्टाफ (ए.एन.एम.) का तीन दिवसीय प्रशिक्षण 4 बैच में 19–21 जुलाई, 23–29 जुलाई तथा 30 जुलाई – 01 अगस्त, 2010 तक परिवार कल्याण संस्थान, टेल्को, जमशेदपुर (प्लाजा डिस्पेंसरी कॉम्प्लेक्स, चिन्मया स्कूल के बगल में) में आयोजित की जायेगी। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए भोजन एवं आवासन की व्यवस्था परिवार कल्याण संस्थान, जमशेदपुर में ही की गयी है। प्रशिक्षण स्थल संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु श्रीमति हेमा सिन्हा, जिला समन्वयक, मोबाइल न. 9431185233 तथा प्रीति शर्मा, जिला समन्वयक, मोबाइल नं.– 9835187758 पर संपर्क की जा सकती है।

आपको निदेशित किया जाता है कि आपके जिलान्तर्गत चलाये जा रहे कृपोषण उपचार केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं सभी पारा मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी भी प्रतिभागी को अनुपस्थित पाये जाने पर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। पारा मेडिकल स्टाफ के संबंध में कहना है कि MTC में में पदास्थापित 4 ए.एन.एम में से प्रत्येक को बारी—बारी से उपर्युक्त वर्णित निर्धारित तिथि के अनुसार भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि MTC का कार्य बाधित न हो।

विश्वासभाजन

अभियान निदेशक


ज्ञापांक : 826 (MD)

दिनांक : 14.07.2010

**प्रतिलिपि:**

1. श्रीमति संगीता जैकब, बाल विकास एवं पोषण पदाधिकारी, युनिसेफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. श्रीमति सुचन्द्रा पण्डा, राज्य प्रशिक्षण कन्सलटेन्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. राज्य सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पोषण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. श्रीमति जयंति दत्ता, सचिव, परिवार कल्याण संस्थान, टेल्को, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री निर्मल दास— जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सिविल सर्जन कार्यालय तथा श्री विकास कुमार, जिला समन्वयक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्रीमति हेमा सिन्हा, जिला समन्वयक, सिविल सर्जन कार्यालय तथा प्रीति शर्मा, जिला समन्वयक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियान निदेशक



## झारखण्ड सरकार

### स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांक : 9/RCH-299/09-2033(RCH)

दिनांक : 10.12.09

प्रेषक,  
राज्य आर.सी.एच.पदा.,  
नामकृम, राँची।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, बोकारो,  
धनबाद, रामगढ़, लातेहार, पलामू सिमडेगा, लोहरदगा, खूँटी, सरायकेला, झारखण्ड।

विषय : 20 नये जिलों में ANM एवं प्रभारी चि. पदा. के MTC हेतु प्रशिक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि उपरोक्त जिलों में MTC हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें सभी जिलों से 4 ANM एवं 1 Incharge of MTC(MOICs) भाग लेंगे। प्रशिक्षण की तिथियों का निर्धारण निम्नलिखित रूप से किया गया है।

Sl. No.	District	Venue	Date of Training	Total Participants	Batch Size
1.	BOKARO	Itki, T.B. Sanitarium, Itki Ranchi, Pin Code: 835301	Dec 14-15, 2009	5	25
2.	DHANBAD			5	
3.	RAMGARH			5	
4.	LATEHAR			5	
5.	PALAMU			5	
6.	DEOGHAR	Itki, T.B. Sanitarium, Itki Ranchi, Pin Code: 835301	Dec 16-17, 2009	5	25
7.	GIRIDIH			5	
8.	KODERMA			5	
9.	CHATRA			5	
10.	HAZARIBAGH			5	

Sl. No.	District	Venue	Date of Training	Total Participants	Batch Size
11.	SAHEBGANJ	Itki, T.B. Sanitarium, Itki Ranchi, Pin Code: 835301	Dec 18-19, 2009	5	25
12.	GODDA			5	
13.	PAKUR			5	
14.	DUMKA			5	
15.	JAMTARA			5	
16.	GUMLA	Itki, T.B Sanitarium, Itki Ranchi, Pin Code: 835301	Dec. 21-22 2009	5	25
17.	SIMDEGA			5	
18.	LOHARDAGA			5	
19.	KHUNTI			5	
20.	SARAIKELA			5	

उपरोक्त जिले प्रशिक्षण हेतु अपने जिले से 1 Incharge of MTC (MOICs) एवं 4 ANM प्रशिक्षण में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

**प्रशिक्षण स्थल : Itki, T.B.SAniotarium, Itki Ranchi Gumla Road, Pin Code: 835301 Ph. No. Dr. U.C Sinha: 94315-20758**

विश्वाभाजन


(राज्य आर. सी. एच. पदाधिकारी)

संलग्नक : Agenda

**प्रतिलिपि :**

1. श्रीमती संगीता जैकब, बाल विकास एवं प्ररियोजना पदाधिकारी, यूनिसेफ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित जिलों के DPM को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित जिलों के District RCH Officer को सूचनार्थ प्रेषित।
4. Nitrition and Micro Nitrient Cell को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अधीक्षक, आरोग्यशाला, इटकी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(राज्य आर. सी. एच. पदाधिकारी)



## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांक : 9/RCH-299/09-138 (MD)

दिनांक : 8.10.2009

प्रेषकः

डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी, भा.प्र.से.

अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य पदाधिकारी

सरायकेला / खंटी / रामगढ़ / हजारीबाग / बोकारो / गुमला / लोहरदगा / सिमडेगा / धनबाद / लातेहार / पलामू / गोड्डा / चतरा / गिरिडीह / देवघर / जामताडा / कोडरमा / दुमका / साहेबगंज / पाकुड़।

विषय : “दिनांक 14–15 अक्टूबर, 2009 को होटल अशोक, राँची में कूपोषण उपचार केन्द्र (MTC) से संबंधित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भाग लेने के संबंध में”

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक: 14.10.09 तथा 15.10.09 को राज्य स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण होटल – अशोक, राँची में आयोजित की जायेगी। जिसमें राज्य के प्रत्येक जिलना के MTC से संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी तथा MTC प्रभारी दोनों की दक्षता वृद्धि की जानी है। उक्त कार्यक्रम में दोनों पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। विदित हो कि MTC प्रबंधन हेतु प्रत्येक जिला के सिविल सर्जन अथवा अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को जिला नोडल पदाधिकारी बनाया गया था।

अतः आपको निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 14.10.2009 को पूर्वाह्न 11 बजे तक निश्चित रूप से दोनों पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन

(डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी)  
अभियान निदेशक

ज्ञापांक : 138 (MD)


दिनांक : 8.10.2009

प्रतिलिपि :

- श्रीमति संगीता जैकब, बाल विकास एवं न्युट्रीशन पदाधिकारी, युनिसेफ को सूचनार्थ तथा अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करें।

(डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी)  
अभियान निदेशक





पत्रांक : 9/RCH-73/2011-1101/11(D) (RCH)

दिनांक : 10.6.11

प्रेषक,  
डॉ. प्रवीण चन्द्र  
निदेशक (स्वास्थ्य)  
नामकृम, राँची।

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।

विषय : कुपोषण उपचार केन्द्रों के आंकड़ों के विश्लेषण हेतु MTC से संबंधित विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

विदित हो कि सम्पूर्ण राज्य में कुल 48 कुपोषण उपचार केन्द्रों एवं 20 कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है (सूची संलग्न)। इस केन्द्रों पर उपचारित अति गंभीर कुपोषित बच्चों के व्यक्तिगत आंकड़ों के विश्लेषण की आवश्यकता प्रतीत होती है ताकि कुपोषण उपचार केन्द्रों के संचालन एवं प्रगति की समीक्षा की जा सके।

उक्त आंकड़ों के विश्लेषण कराकर राज्य से केन्द्र को उपलब्ध कराना अत्यावश्यक हो गया है। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु संलग्न विहित प्रपत्र में कुपोषण उपचार केन्द्र में उपचारित सभी बच्चे की सूचना दिल्ली भेजी जानी है।

अतः आंकड़ों के ससमय संकलन हेतु निदेशका दिया जाता है कि आपके जिलान्तर्गत कुपोषण उपचार केन्द्रों के आंकड़ों का संधारण विहित संलग्न प्रपत्र में करते हुए दिनांक 19.06.2011 तक प्रतिवेदन Soft Copy (CD) में आपके पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आपके जिला अन्तर्गत उक्त कार्य को ससमय सम्पादित करने हेतु आप अपने स्तर से संबंधित District Programme Manager, District Data Manager, Block Programme Manager, Block Accounts Manager, MO/IC MTC एवं ए.एन.एम. कुपोषण उपचार केन्द्र की टीम गठित करना सुनिश्चित करेंगे। आंकड़ों के संकलन कार्य में राज्य स्तर से संलग्न सूची के अनुसार समन्वयकों को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाय।

इसे अति आवश्यक समझा जाय।


अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

१०१६११

निदेशक (स्वास्थ्य)  
झारखण्ड, राँची।


1. अभियान निदेशक, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि संलग्न सूची के अनुसार राज्य स्तरीय समन्वयकों को अपने स्तर से आदेश देने की कृपा करें।
3. डॉ. अजीत प्रसाद, उप निदेशक, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची-सह-राज्य नॉडल पदाधिकारी, अनिमिया नियंत्रण कार्यक्रम को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि संलग्न सूची के अनुसार राज्य स्तरीय समन्वयकों को अपने स्तर से आदेश देने की कृपा करें।
5. State Programme Manager, NRHM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सभी District Programme Manager/Data Manager को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. State Micro Nutrient and Nutrition Cell को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. श्रीमती संगीता जैकब, पोषण विशेषज्ञ, युनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

  
 १०१६११  
 निदेशक (स्वास्थ्य)  
 झारखण्ड राँची।

**State level support team for compilation of data - MTC/MTEC**

<b>Sl. No.</b>	<b>District</b>	<b>MTC1</b>	<b>MTC2</b>	<b>MTEC</b>	<b>Responsible Person</b>	<b>Contact No.</b>
1.	Bokaro	Sadar	Gomia	Chas	Ms. Madhulika Sharma, MN Cell	9934115631
2.	Chatra	Sadar	Pratapur	Sadar	Mr. Sujit Kr. Sinha MN Cell	9431392234
3.	Deoghar	Sadar	Jasidih	-	Mr. Dhananjay Kumar, Directorate, WCD	
4.	Dhanbad	Topchanchi	Tundi	Tundi, Govindpur	Mr. Rammath Ray	9430338567
5.	Dumka	Sadar	Jarmundi	Dumka	Ms. Prabha Kumari, Directorate, WCD	9430212493
6.	E.Singhbhum	Ghatsilla	P.K.S.Tata	Behragora, Ghatsilla	Ms. Preeti Sharma, DST JSR	9835187758
7.	Garhwa	Nagar Untari	Sadar	Garhwa	Mr. Subhendra Jha, MN Cell	9431351825
8.	Giridih	Sadar	Rajghanwar	-	Mr. Abhishek Ganguly	9835302764
9.	Godda	Mahagama	Poriajyahat	-	Mr. Asit Kumar Dular, Ranchi	9471827787
10.	Gunla	Sadar	Raidih	Gumla, Raidih	Mr. Binay Kr. Singh, MN Cell	9431186606
11.	Hazaribag	Sadar	Keredary	Keredary	Mr. Bishwanath Dasgupta, MN Cell	9431102001
12.	Jamtara	Sadar	Nala	Nala	Mr. Shyam Jee Dular, Seraikela	9470362449
13.	Khunti	Sadar	Torpa	Torpa	Ms. Merry Tudu, Khunti	9470517653
14.	Kodarma	Sadar	Domchanch	-	Mr. Ranjit Kumar, DSW	9835286102
15.	Latehar	Chandwa	Mahuadar	Chandwa	Ms. Gita Devi Div. Coordinator, ACP	9430701929
16.	Lohardaga	Bhanda	Kuru	-	Mr. Dimpankar Mukherjee/Vikash MN Cell	9431350801
17.	Pakur	Sadar	Littepara	Pakur	Mr. Pradeep Horo MN Cell	9955937388
18.	Palamu	Chainpur	Hussainabad	Chainpur	Ms. Akansha	9507675962
19.	Rangarh	Bharechnagar	Gola	-	Mr. Arbind Kumar, DST Dular	9431758410
20.	Ranchi	Mandar	Bundu	Mandar, Bundu	Ms. Pratima Singh MN Cell	9431180411





पत्रांक : 9/RCH-73/2011-1307/11 (RCH)

दिनांक : 11.7.2011

प्रेषक,  
डॉ. प्रवीण चन्द्र,  
निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ,  
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति,  
नामकुम, राँची।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
खुँटी/बोकारो/जामताड़ा/पूर्वी सिंहभूम/लातेहार/राँची/चाईबासा

**विषय :** दिनांक 13 जुलाई 2011 से 16 जुलाई 2011 तक युनिसेफ दिल्ली से आ रहे टीम के झारखंड राज्य के कुपोषण उपचार केन्द्रों के भ्रमण एवं एम.आई.एस. पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में।

**प्रसंग :** युनिसेफ, झारखंड का पत्रांक JH/PROG/CDN/1275 दिनांक 11.07.2011

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि पत्रांक 9/RCH-73/2011-110/11(D) (RCH) दिनांक 10.06.2011 के अनुपालन में संचालित कुपोषण उपचार केन्द्रों पर उपचारित बच्चों के आंकड़े विहित प्रपत्र में आपके स्तर से उपलब्ध करायी गयी है। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु युनिसेफ दिल्ली से डॉ. करणवीर सिंह, पोषण विशेषज्ञ एवं सुश्री नयना, विश्लेषक झारखंड आ रहे हैं। उक्त आंकड़ों के विश्लेषण हेतु Hotel Element, Station Road, Ranchi में दिनांक 15.07.2011 को अपराह्न 2:00 बजे से कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

टीम द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चाईबासा सदर एवं राँची जिलान्तर्गत माण्डर कुपोषण उपचार केन्द्र एवं कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र का भ्रमण किया जायेगा।

टीम के भ्रमण एवं आयोजित कार्यशाला हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

1. असैनिक शल्य चिकित्सक —सह— मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, चाईबासा एवं राँची क्रमशः 14.07.2011 एवं 15.07.2011 को टीम के कुपोषण उपचार केन्द्र के भ्रमण के क्रम में अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।
2. निम्नलिखित कुपोषण उपचार केन्द्र के MO-MTC/District Data Manager/Block Account Manager/ANM में से किसी एक की दिनांक 15.07.2011 को कुपोषण उपचार केन्द्र में वर्ष 2010 में उपचारित कम से कम 5 बच्चों के प्रतिदिन रिकार्ड संबंधी फाईल के साथ पूर्वाह्न 11:30 तक Hotel Element, Station Road, Ranchi में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

क्र.	कुपोषण उपचार केन्द्र/विस्तार केन्द्र	जिला
1.	खुँटी सदर	खुँटी

क्र.	कुपोषण उपचार केन्द्र/विस्तार केन्द्र	जिला
2.	जामताड़ा सदर	जामताड़ा
3.	चास	बोकारो
4.	परिवार कल्याण संस्थान	पूर्वी सिंहभूम
5.	चन्दवा	लातेहार

यात्रा व्यय एवं Pocket Allowance की व्यवस्था की गयी है।

3. बच्चों के प्रतिदिन के रिकार्ड संबंधी फाईल प्राधिकृत व्यक्तियों के साथ वापस कर दी जायेगी।  
इसे अति आवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

(निदेशक प्रमुख)


ज्ञापांक : 1307/11 (RCH)

दिनांक : 11.7.2011

#### प्रतिलिपि:

1. अभियान निदेशक, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
2. डॉ. अजीत प्रसाद, उप निदेशक, झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमती संगीता जैकब, पोषण विशेषज्ञ, युनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. State Micro Nutrient and Nutrition Cell को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(निदेशक प्रमुख)



## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांक : 9/RCH-299/09-554 (MD)

दिनांक : 31.3.2010

प्रेषकः

डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी, भा.प्र.से.

अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, रांची।

फोन नं.: 0651-2260361, फैक्स नं.: 0651-2261856

E-mail: nrhmjharkhand@yahoo.com

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

रांची/पूर्वी सिंहभूम/पश्चिमी सिंहभूम/गढ़वा/सरायकेला/खुंटी/रामगढ़/बोकारो/हजारीबाग/  
गुमला/लोहरदगा/सिमडेगा/धनबाद/लातेहार/पलामू/गोड़डा/चतरा/गिरिडीह/देवघर/  
जामताड़ा/पाकुड़/कोडरमा/दुमका/साहेबगंज।

विषय : राज्य स्तरीय MTC संबंधी समीक्षात्मक बैठक तथा MTC Reporting प्रशिक्षण में भाग लेने के संबंध में”  
महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय में संदर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक : 9 अप्रील, 2010 को राज्य आर.सी.एच. कार्यालय के सभागार में कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC) से संबंधित राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन की जा रही है। उक्त बैठक में राज्य के प्रत्यक्त जिलान्तर्गत MTC के जिला नोडल पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी तथा MTC प्रभारी भाग लेंगे। उक्त बैठक में MTC प्रभारी अपने साथ कार्यक्र की उपलब्धि तथा समस्याओं को POWERPOINT PRESENTATION में बनाकर SOFT COPY साथ लेकर आयेंगे जिसका प्रस्तुतीकरण उनके द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 8 अप्रील, 2010 को MTC Reporting से संबंधित राज्य स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण होटल – अशोक, रांची में आयोजित की जायेगी। जिसमें जिला के District Data Manager, संबंधित क्षेत्र में Block Account Manager, MTC के प्रशिक्षित चार पारा मेडिकल स्टाफ में से एक जो Record Keeping का काम सही ढंग से कर सके तथा MTC के प्रभारी चिकित्सक प्रतिभागी होंगे।


अतः आपको निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित समीक्षात्मक बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित प्रतिभागियों की उपस्थिति प्रातः 10 बजे निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे।


विश्वासभाजन

(डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी)  
अभियान निदेशक

**प्रतिलिपि:**

1. निदेशक समाज कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. श्रीमति संगीता जैकब, बाल विकास एवं न्युट्रीशन पदाधिकारी, युनिसेफ को सूचनार्थ तथा अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करें।
3. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. राज्य सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पोषण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
(डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी)  
अभियान निदेशक



## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांक : 9/RCH-299/09-131/10(RCH)

दिनांक : 29.1.10

प्रेषक : राज्य आर.सी.एच. पदाधिकारी  
झारखण्ड, नामकूम, राँची

सेवा में

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी  
राँची/पू.सिंहभूम/प.सिंहभूम/गढ़वा/सरायकेला/खुंटी/रामगढ़/हजारीबाग/बोकारो/गुमला/  
लोहरदगा/सिमडेगा/धनबाद/लातेहार/पलामू/गोड़डा/चतरा/गिरिडीह/देवघर/जामताड़ा/  
कोडरमा/दुमका/साहेबगंज/पाकुड़

विषय : कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC) से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषण के संबंध में”

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके जिलान्तर्गत चल रहे कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC) से संबंधित आंकड़ों का नियमित रूप से हर माह राज्य आर.सी.एच.कार्यालय को भेजा जाना चाहिए, जो अभी तक अप्राप्त है। कुपोषण उपचार केन्द्र पर आंकड़ों का रख—रखाव हेतु युनिसेफ द्वारा कम्प्युटर भी उपलब्ध करायी जा चुकी है। राज्य स्तर पर नियमित रूप से आंकड़ों प्रेषण हेतु इस पत्र के साथ कम्प्युटरीकृत मासिक प्रगति प्रतिवेदन तथा बच्चों का व्यक्तिगत विवरणी दोनों प्रपत्र भेजी जा रही है। उक्त प्रपत्र की SOFT COPY e-mail द्वारा भी भेजी जा रही है। मासिक प्रगति प्रतिवेदन को भरने हेतु दिये गये दिशा—निर्देश का अनुपालन कर प्रति माह 1 से 5 तारीख के बीच हमारे राज्य पोषण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व कोषांग, को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जा जाय।

अनुलग्नक: संलग्न।

विश्वासभाजन

राज्य आर.सी.एच.पदाधिकारी





## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांक : 9/RCH-299/09-424 (MD)

दिनांक : 3.2.2010

प्रेषकः

डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी, भा.प्र.से.

अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, रांची।

फोन न. : 0651-2260361, फैक्स न.: 0651-2261856

E-mail : nrhmjharkhand@yahoo.com

सेवा में,

उपायुक्त

हजारीबाग / रामगढ़ / बोकारो / खूंटी / सरायकेला / धनबाद / जामताड़ा / गिरिडीह / कोडरमा / देवघर / गोड्डा / साहबगंज / पाकुड़ / दुमका / लोहरदगा / गुमला / चतरा / सिमडेगा / लातेहार / पलामू / रांची / पूर्वी सिंहभूम / पश्चिमी सिंहभूम / गढ़वा

विषय : “कुपोषण उपचार केन्द्र (MTC) के क्रियान्वयन के संबंध में”

महाशय / महाशया,

विदित हो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य के शेष 20 जिलों में भी एक-एक MTC खोलने का निर्णय लिया गया था (सूची संलग्न)। राज्य के नये जिलों में MTC खोलने हेतु हमारे कार्यालय पत्रांक-9/RCH-299/09-91, 92 दिनांक-10.9.09 तथा 9/RCH-299/09-197 दिनांक-6.11.09 द्वारा आंतरिक संरचना तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश उपलब्ध करा दी गई थी। दिसम्बर 09 में राज्य स्तरीय के बैठक में MTC को यथाशीघ्र शुरू करने हेतु निर्देश उपलब्ध करा दी गई थी। दिसम्बर 09 में राज्य स्तरीय के बैठक में MTC को यथाशीघ्र शुरू करने हेतु निर्देश दी गई थी। परन्तु बड़े खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अधिकांश जिलों ने अब तक उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया।

अनुरोध है कि आपके जिलान्तर्गत खोले जाने वाले MTC को दिनांक 15 फरवरी, 2010 तक निश्चित रूप से खुलवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही, आपके जिलान्तर्गत समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में इस माह के अन्दर विशेष अभियान चलाकर अति कुपोषित बच्चों को चिह्नित कर उसकी सूची तैयार करने हेतु जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से सिविल सर्जन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश देंगे। कुपोषण उपचार केन्द्र के सफल संचालन हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन कर आपकी अध्यक्षता में प्रति माह समीक्षा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।


अभियान निदेशक

प्रतिलिपि :

1. सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अभियान निदेशक

क्रम संख्या	जिला का नाम	कुपोषण उपचार केन्द्र का नाम	उद्यतन स्थिति
1.	राँची	1. प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, बुण्डु 2, प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, मान्डर	कार्यरत
2.	पूर्वी सिंहभूम	1. प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, घाटशीला 2. परिवार कल्याण संस्थान—गोलमुरी सह जुगसलाई	कार्यरत
3.	पश्चिमी सिंहभूम	1. सदर चाईबासा 2. जगन्नाथपुर	कार्यनत
4.	गढ़वा	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, नगर ऊंटारी	कार्यरत
5.	कोडरमा	कोडरमा सदर प्रखण्ड	नहीं खुला
6.	सरायकेला खरसावां	सदर अस्पताल, सरायकेला	नहीं खुला
7.	देवघर	सदर अस्पताल, देवघर	खुल गया
8.	लोहरगा	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र — भण्डरा	नहीं खुला
9.	हजारीबाग	सदर अस्पताल, हजारीबाग	नहीं खुला
10.	जामतारा	सदर अस्पताल, जामतारा	खुल गया
11.	दुमका	डार्नॉस्टिक सेंटर, दुमका	नहीं खुला
12.	गोड्डा	रेफरल अस्पताल, महागामा	खुल गया
13.	गुमला	सदर अस्पताल, गुमला	खलगा
14.	बोकारो	रेफरल अस्पताल, चास	नहीं खुला
15.	लातेहार	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, चंदवा	नहीं खुला
16.	पलामू	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, चैनपुर	नहीं खुला
17.	खुंटी	प्रमण्डलीय अस्पताल, खुंटी	नहीं खुला
18.	गिरिडीह	सदर अस्पताल, गिरिडीह	खुल गया परन्तु बच्चा नहीं है
19.	रामगढ़	रेफरल अस्पताल, भरेचनगर	नहीं खुला
20.	पाकुड़	सदर अस्पताल, पाकुड़	नहीं खुला
21.	धनबाद	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, तोपचांची	खुल गया
22.	साहेबगंज	पुराना सदर अस्पताल, साहेबगंज	नहीं खुला
23.	चतरा	सदर अस्पताल, चतरा	नहीं खुला
24.	सिमडेगा	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, सिमडेगा	नहीं खुला



## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड, राँची।

पत्रांक : 1027 (RCH)

नामक्रम, दिनांक : 6.5.09

प्रेषक,

अधीक्षक सह राज्य आर.सी.एच. पदाधिकारी,  
राज्य आर.सी.एच समिति,  
राजकीय टीकौषधि संस्थान कैम्पस, टाटा रोड,  
नामक्रम, राँची, झारखण्ड  
फोन नं. – 0651–2261051 / 53  
फैक्स नं. – 0651–2260361  
e-mail - nrhmjharkhand@yahoo.com

सेवा में,


सभी सिविल सर्जन

बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड़ा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा,  
खुँटी, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेगा, पं. सिंहभूम।

विषय : सभी कुपोषित बच्चों (Malnutrition Grade IV) को तुरंत उपचार उपलब्ध कराने में संबंध में।

महाशय,

विदित है कि 0–5 yrs. के बच्चों में मृत्यु (USMR) के 53 प्रतिशत कारणों में कुपोषण किसी न किसी तरह से संबंधित है। कुपोषण हमारे बाल मृत्यु दर को कम नहीं होने दे रहा है।



झारखण्ड के NFHS-3 (2005-06) के आंकड़ों को देखने पर यह बात और स्पष्ट हो जाती है।

Millennium Development Goals (Goal-1, Target-2) के अनुरूप हमें अपने 0–5 yrs. के कुपोषित बच्चों के प्रतिशत को 1990 के स्तर से 2015 तक आधी करनी है तथा (Goal-4, Target-5) U5MR, IMR को 1990 के स्तर

से 2015 तक दो तिहाई कम करनी है। यह तभी संभव है जब हम कुपोषित बच्चों का यथा समय उपचार करें।

### Millennium Development Goals

Goals & Targets	Indicators for monitoring progress
<b>GOAL 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER</b>	
Target 2: Halve between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger.	4. Prevalence of underweight children under 5 yrs of age. 5. Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption.
<b>GOAL 4: REDUCE CHILD MORTALITY</b>	
Target 5: Reduce by two-third, between 1990 and 2015, the under 5 mortality Rate	13. Under-five mortality rate 14. infant mortality rate

इस संदर्भ में अभी 19 फरवरी 09 – 29 मार्च 09 तक सम्पन्न झारखण्ड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह में आपके द्वारा प्रेषित कुपोषण के आंकड़ों का अवलोकन करना चाहेंगे।

<b>0-5 Age Children Malnutrition Prevalence as reported by Districts</b>					
<b>Sl.No.</b>	<b>Districts</b>	<b>Gd-I</b>	<b>Gd-II</b>	<b>Gd-III</b>	<b>Gd-IV</b>
1.	Bokaro	21784	24674	16197	2810
2.	Chatra	1763	1105	492	282
3.	Deoghar	3008	1119	790	623
4.	Dhanbad	9346	31741	3927	290
5.	Dumka	2567	1578	784	470
6.	E.Sing.	2435	13123	6120	2918
7.	Garhwa	3067	6012	409	230
8.	Giridih	3817	5468	367	292
9.	Godda	5756	1396	717	439
10.	Gumla	12167	30253	17294	10432
11.	Hazaribagh	7264	7496	2479	921
12.	Jamtara	4956	28380	4309	7856
13.	Khunti	822	4993	3106	994
14.	Koderma	1503	1418	486	377
15.	Latehar	1147	3765	544	417
16.	Lohardaga	853	1501	1176	849
17.	Pakur	2873	6710	1883	1260
18.	Palamu	14613	0	21554	0
19.	Ramgarh	6360	10009	2543	1045
20.	Ranchi	2473	6595	3689	2184
21.	Sahibganj	3108	11030	2885	1274
22.	Saraikela	831	15924	4502	3037
23.	Simdega	3880	14741	4373	2253
24.	W.Sing.	3601	13037	14784	7765
	<b>Total</b>	<b>117994</b>	<b>242068</b>	<b>115410</b>	<b>49018</b>

Grade IV कुपोषित बच्चों को तुरंत इलाज हेतु अस्पताल रेफर करना है ताकि वहां उनकी बीमारी का इलाज किया जा सके तथा Catch-up diet दिया जा सके ताकि उनका वजन बढ़ सके। गम्भीर रूप से बीमार बच्चों या कुपोषित बच्चों को इलाज हेतु रेफर करने के लिए रु. 10,000/- (दस हजार) प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध करा दी गई है ताकि किसी बीमार/कुपोषित बच्चे को यातायात में खर्च करने हेतु रु 300

(तीन सौ) दिया जा सके, इस संदर्भ में पत्रांक 910 (RCH) दिनांक 12.08.2008 पत्र के साथ संलग्न है। झारखण्ड में 5 Malnutrition Treatment Centre की शुरुआत की जा चुकी है।

Sl. No.	Malnutrition Treatment Centre	Districts
1.	Mandar	Ranchi
2.	Sadar	
3.	Sadar	West Singhbhum (Chaibasa)
4.	Jagannathpur	
5.	Ghatshila	East Singhbhum (Jamshedpur)

संबंधित जिले गंभिर रूप से कुपोषित बच्चों को यथाशीघ्र MTC में उपचार की सुविधा दे एवं अन्य जिले सदर अस्पताल में इनके इलाज की व्यवस्था करें।

यथाशीघ्र Grade IV कुपोषित बच्चों से संबंधित कार्रवाई (Action Taken) से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। साथ ही Referral Transport for sick child के मद में उपलब्ध राशि के विहित प्रपत्र में SOE भेजें।

इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

अधीक्षक सह

राज्य आर.सी.एच.पदाधिकारी

नामकृम, राँची।

अनुलग्नक : पत्रांक 910 (RCH)

दिनांक : 12.08.08

#### प्रतिलिपि :

1. सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. डा. जितेन्द्र कुमार सिंह – निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, कोल्हान/द. छोटानागपुर/उत्तरी छोटानागपुर/पलामु/संथालपरगना प्रमंडल, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
7. सभी राज्य कार्यक्रम यूनिट – श्री राजन (राज्य कार्यक्रम प्रबंधक)/श्रीमती सुस्मिता (राज्य डाटा प्रबंधक)/श्री सुजीत भरती (राज्य लेखा प्रबंधक) एवं श्रीमती नीता कुजूर (राज्य डेमोग्राफर) को सूचनार्थ प्रेषित।
8. परामर्शी – डा. आर.एस.गांगुली (MCH)/श्री प्रफुल्ल मल्लिक (M&E)/श्री मर्यादा पुरुषोत्तम
9. सुश्री डॉली – गार्ड फाईल में।

#### 10. Development Partners :

1. डा. मधुलिका जोनाथन – H.O. - UNICEF
2. श्रीमती संगीता जैकब – UNICEF
3. श्रीमती मधुलिका शर्मा – UNICEF को सूचनार्थ प्रेषित।

(राज्य आर.सी.एच. पदाधिकारी)



**झारखण्ड सरकार**  
**समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग**  
(समाज कल्याण निदेशालय)  
पत्र संख्या..... / स.क.

प्रेषक,  
पुष्पा मराणडी  
निदेशक, समाज कल्याण।

सेवा में,  
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी  
पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, धनबाद, पाकुड़, दुमका।

रांची, दिनांक..... 2010 ई।

विषय : सघन अभियान द्वारा अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर सूची बनाने के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है स्वारथ्य विभाग के द्वारा 10 जिलों में अति गंभर कुपोषित बच्चों (संक्रमण रहित) हेतु कुपोषण उपचार केन्द्र-विस्तार की शुरूआत की जा रही है। इन केन्द्रों पर अति गंभीर कुपोषित बच्चों को चिकित्सीय आहार उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि अपने जिले में सघन अभियान द्वारा अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान कर सूचीबद्ध करें। इस सूची की एक प्रति अपने जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध करायें ताकि वे कुपोषण उपचार केन्द्र-विस्तार में बच्चों की भर्ती सुनिश्चित कर सकें। साथ ही, आप अपने स्तर से आंगनबाड़ी स्तर पर कुपोषण उपचार केन्द्र-विस्तार के सघन प्रचार-प्रसार हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा करेंगे। (कुपोषण उपचार केन्द्र-विस्तार की सूची संलग्न)

अनुलग्नक:-यथोक्त

विश्वासभाजन

ह./-

(पुष्पा मराणडी)

निदेशक, समाज कल्याण।

ज्ञापांक : 168 डी. स.क.

रांची, दिनांक : 16.11.2010

प्रतिलिपि:- अभियान निदेशक, एन.आर.एच.एम., नामकुम को सूचनार्थ प्रेषित।

6/11.2010  
16/11/2010

(पुष्पा मराणडी)

निदेशक, समाज कल्याण



# आराधना पटनायक

भा.प्र.से.

## अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड

फोन : 91-651-2261000, 2261001

फैक्स : 91-651-2490314, 2261856

ईमेल : nrhmjharkhand@yahoo.com

पत्रांक : 9/RCH-299/09



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

झारखण्ड सरकार

राजकीय टीकौषणि संस्थान परिसर

आर.सी.एच. नामकुम, रांची - 834010

दिनांक : .....

सेवा में,

श्रीमती पुष्पा मरांडी

निदेशक

समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग

झारखण्ड, रांची

विषय : जिलों में SAM बच्चों के स्क्रिनिंग हेतु प्रशिक्षण में अपेक्षित सहयोग प्रदान के संबंध में।

महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य के सभी जिलों में SAM बच्चों के स्क्रिनिंग हेतु स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाया है। इसके तहत सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण (4 बैच प्रति जिला) हेतु जिलों के सिविल सर्जन कार्यालय को राशि उपलब्ध करा दी गई है। इस प्रशिक्षण में आपके विभाग से आंगनबाड़ी सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका को भाग लेना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए आप अपने संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से निर्देशित करना चाहेंगे ताकि प्रशिक्षण में सभी की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। सभी जिलों में अवस्थित MTC एवं MTC विस्तार की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक: जिले में MTC एवं MTC विस्तार की सूची

विश्वासभाजन

ह. / -


(आराधना पटनायक)

ज्ञापांक : 1319 (MD)

दिनांक : 11.11.2010

प्रतिलिपि:

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ

  
11.11.10

(आराधना पटनायक)





# झारखण्ड सरकार

## समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग

(समाज कल्याण निदेशालयर

पत्र संख्या – 141 डी. स.क.

प्रेषक,

पुष्पा मराणडी,  
निदेशक, समाज कल्याण।

सेवा में,

सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी  
झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 20.10.2010 ई।

**विषय :** अति गंभीर कुपोषित बच्चों के अस्पताल एवं समुदाय आधारित प्रबन्धन में आंगनबाड़ी सेविकाओं की भूमिका के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी जिलों में यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से अति गंभीर कुपोषण के प्रबन्धन हेतु कुपोषण उपचार केन्द्रों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

अति गंभीर कुपोषित बच्चों के प्रबंधन, रेफरल एवं फॉलो अप में आंगनबाड़ी सेविका की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो निम्न बिन्दुओं पर आधारित है:-

1. सभी 0–5 वर्ष के बच्चों की नियमित वृद्धि निगरानी सुनिश्चित कर गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान करना।
2. जिन 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों की MUAC माप 11.5cm से कम हो उन्हें MTC को रेफर करना।
3. MTC में बच्चों की भर्ती के लिये ले जाने से पहले माता से बच्चों की स्थिति के विषय में बातचीत कर उन्हें मानसिक रूप से वहाँ 10–15 दिन व्यतीत करने के लिये तैयार करना।
4. MTC में ठहरने के लिये माता को कपड़े तथा अन्य आवश्यक सामान इत्यादि लेकर चलने हेतु प्रेरित करना।
5. जब बच्चा MTC से discharge हो तब आंगनबाड़ी सेविका को वहाँ उपस्थित रहकर घर पर उक्त बच्चे की देखभाल एवं दवा इत्यादि से संबंधित निर्देशों एवं फॉलो अप की तिथि को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है।
6. घर लौटने के पश्चात प्रत्येक सप्ताह उक्त बच्चे के घर का भ्रमण सेविका द्वारा दो बार आवश्यक है, ताकि वह घर पर उस बच्चे को देखभाल का सतत अनुश्रवण कर सके एवं माँ को समय–समय पर उचित मार्गदर्शन दे सके।

7. गंभीर रूप से कुपोषित सभी बच्चों का प्रत्येक सप्ताह वजन लेकर देखना कि बच्चे का वजन कम से कम 5gm/दिन/किलोग्राम के अनुसार बढ़ रहा है या नहीं।
8. यदि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा हो अथवा घट रहा हो तो तुरन्त MTC जांच हेतु ले जाना।
9. तीन फॉलो अप की तिथि माता एवं परिवार के सदस्यों को याद दिलाना एवं निर्धारित तिथि पर बच्चे को माता द्वारा वहां ले जाना सुनिश्चित करना।
10. जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे MTC में भर्ती नहीं किये गये हों अथवा जो MTC में चिकित्सा के उपरान्त घर वापस आ गये हो उन्हें आई.सी.डी.एस. के पोषाहार कार्यक्रम के तहत प्राप्त होने वाला अतिरिक्त आहार खिलाना सुनिश्चित करना। इसके लिये उक्त बच्चे को पोषाहार पाउडर के रूप में दी गई विधि के अनुसार बना कर भी बच्चे को घर पर खिलाने के लिये दिया जा सकता है।
11. आंगनबाड़ी केन्द्र के क्षेत्र में रहने वाले गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी सेविका, सहिया अथवा ए.एन.एम. के साथ tag कर घर एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर उनकी समुचित देखभाल सुनिश्चित की जाये।

कुपोषण को दूर करना आई.सी.डी.एस. का प्रमुख लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिये सेविकाओं द्वारा उपरोक्त अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक निदेश किया जाये।

विश्वासभाजन

(पुष्पा मराण्डी)

निदेशक, समाज कल्याण

**झारखण्ड सरकार**  
**समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग**  
(समाज कल्याण निदेशालय)  
पत्र संख्या 1419 / स.क.

प्रेषक,

पुष्पा मराणडी  
निदेशक, समाज कल्याण।

सेवा में,

सभी जिला समाज कल्याण पदिधिकारी,  
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 07.09.2010 ई।


**विषय :** “अति गंभीर कृपोषित बच्चों की पहचान तथा प्रबन्धन” विषयक सेमिनार जिला स्तर में आयोजित करने के संबंध में।

**प्रसंग :** विभागीय झापांक 1/2009 यूनिसेफ 1410 राँची दिनांक 21 अगस्त 2010

महाशय / महाशया,

कृपया उपर्युक्त प्रासंगिक विभागीय पत्र का संदर्भ लिया जाए। इसके अनुसार जिला के चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अति कृपोषित बच्चों की पहचान MUAC टेप द्वारा किया जाना है। इस संबंध में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को MUAC टेप के प्रयोग तथा प्रपत्र पर प्रदर्शनी सेमिनार, सम्मेलन आदि मद में उपलब्ध राशि का उपयोग उक्त सेमिनार के आयोजन पर किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

  
(पुष्पा मराणडी)

निदेशक, समाज कल्याण



**झारखण्ड सरकार**  
**समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग**  
(समाज कल्याण निदेशालय)  
ईन्जिनियर्स हॉस्टल, दूसरा तल्ला, धुर्वा, राँची  
पत्र संख्या 123 डी./स.क.

प्रेषक,

पुष्पा मराणडी  
निदेशक, समाज कल्याण।

सेवा में,

सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी  
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 6.9.2010 ई.।

**विषय :** समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से अति गंभीर कुपोषण ग्रस्त बच्चों की पहचान एवं समेकित प्रबन्धन की रणनीति आरम्भ करने के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड में अति गंभीर कुपोषण की स्थिति चिन्तनीय है, जिसमें सुधार लाने के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वित प्रयास से अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान एवं प्रबन्धन हेतु सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस दिशा में ठोस कदम उठाने के उद्देश्य से निम्नलिखित निर्देश किये जाते हैं:-

1. प्रथम चरण में संलग्न सूची के अनुसार सभी जिलों के चार-चार चयनित परियोजनाओं के सेक्टर से प्रति सेक्टर पांच आंगनबाड़ी केन्द्रों का चयन किया जाये। (कुल 20 आंगनबाड़ी केन्द्र)
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के सहयोग से सभी जिलों में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाये। जिसमें चयनित परियोजनाओं की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (कुल चार), चयनित सेक्टर की महिला पर्यवेक्षिकाएं (कुल—), चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाएं (कुल 20) एवं चयनित केन्द्रों की सहिया एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों की संबंधित ए.एन.एम. (कुल 10) भाग लेंगी। उक्त प्रशिक्षण 22 सितम्बर 2010 तक पूर्ण कर लिया जाये।
3. प्रशिक्षण के उपरांत चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाएं अपने क्षेत्र में निवास करने वाले सभी 0-5 वर्ष के बच्चों के बाएं हाथ के उपनी हिस्से के बीच की गोलाई (Middle Upper Arm Circumference) को MUAC Tape की सहायता से माप कर दिये गये प्रपत्र में भरकर दिनांक 30.09.2010 के पूर्व परियोजना कार्यालय को प्रेषित करें।

4. परियोजना कार्यालय द्वारा उक्त प्रपत्रों को समेकित कर जिला कार्यालय को दिनांक 03.10.2010 तक प्रेषित कर दिया जाये, जहां से दिनांक 7.10.10 तक उक्त प्रपत्र समाज कल्याण निदेशालय को प्रेषित कर दिलया जाये।
5. जिन बच्चों के MUAC की माप 11.5 cm से कम हो उन्हें तत्काल अपने जिले के कुपोषण उपचार केन्द्र अथवा चिकित्सीय पोषण पूनर्वास केन्द्र को संदर्भित किया जाये।
6. जो गंभीर कुपोषण ग्रस्त बच्चे उक्त केन्द्रों में भर्ती नहीं होंगे उन्हें आंगनबाड़ी सेविका, सहिया अथवा माता सहायता समूह के सदस्यों के साथ जोड़कर कर घर पर उनकी समुचित देखभाल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर उन्हें पूरी मात्रा में अतिरिक्त पोषाहार प्रदान कर सेवन करना सुनिश्चित करें।  
उपर्युक्त अनुदेशों का हरेक स्तर पर सख्ती से अनुपालन किया जाये।

### कार्य योजना संलग्न

विश्वासभाजन

(पुष्पा मराण्डी)

निदेशक, समाज कल्याण

## एक दिवसीय जिला स्तरीय गंभीर कुपोषण की पहचान एवं प्रबन्धन संबंधी सेमिनार

समय	विषय वस्तु	प्रशिक्षण विधि	प्रशिक्षण सामग्री
10.00–10.30	पंजीकरण		
10.30–10.45	प्रतिभागियों का स्वागत एवं प्रशिक्षण के उद्देश्यों की आनकारी		
10.45–11.00	झारखण्ड में कुपोषण की स्थिति पर चर्चा एवं अति गंभीर कुपोषण के खतरों की जानकारी	व्याख्यान एवं खुली चर्चा	फ़िलप चार्ट फोटोग्राफ
11.00–11.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अति गंभीर कुपोषण—पहचान के मापदण्ड</li> <li>● MUAC टेप के प्रयोग की विधि</li> </ul>	व्याख्यान एवं प्रदर्शन	फ़िलप चार्ट फोटोग्राफ MUAC टेप
11.30–12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● गंभीर कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबन्धन</li> <li>● MTC से लौट कर आये बच्चों का फॉलो अप</li> </ul>	व्याख्यान	
12.00–12.30	राज्य में चलाये जाने वाले गंभीर कुपोषण की पहचान एवं प्रबोधन संबंधी अभियान की कार्य योजना एवं उक्त कार्य योजना एवं उक्त कार्य योजना में ग्राम स्तरीय टीम की भूमिका	खुली चर्चा	
12.30–01.00	आंगनबाड़ी केन्द्र में अभियान की सूक्ष्म कार्य योजना का निर्माण	समूह कार्य	चार्ट, पेपर, मार्कर
01.00–01.30	समूहों द्वारा सूक्ष्म कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण		
01.30–01.40	धन्यवाद ज्ञापन		



## अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान

### पृष्ठभूमि:

अति गंभीर कुपोषण को 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारण के रूप में पहचाना गया है। अब तक अस्पताल आधारित सेवा द्वारा ही इन बच्चों का उपचार होता रहा है, जिससे सीमित संख्या में ही लाभार्थियों को सेवा दी जा सकती है। हाल के वर्षों में अनुसंधानों एवं परीक्षणों द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि अति गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का उपचार अस्पताल अथवा चिकित्सीय आहार केन्द्र में भर्ती किये बिना समुदाय के बीच रखकर भी सफलता पूर्वक किया जा सकता है।

समुदाय आधारित रणनीति के अनुसार बच्चों में व्याप्त गंभीर कुपोषण की जल्द से जल्द पहचान कर उनमें से चिकित्सीय जटिलता रहित बच्चों को तैयार आहार एवं अन्य उच्च पोषण मूल्य युक्त खाद्य पदार्थ घर पर देकर उनका उपचार किया जा सकता है। इस रणनीति को आवश्यकतानुसार अस्पताल आधारित-रणनीति के साथ समन्वित कर हजारों बच्चों की जान बचाई जा सकती है।

प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में लगभग एक करोड़ बच्चों की गंभीर कुपोषण के कारण मृत्यु हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार सुपोषित बच्चों की तुलना में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की मृत्यु की संभावना 5 से 20 गुना अधिक होती है। परन्तु फिर भी नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। यदि गंभीर कुपोषण संबंधी अस्पताल एवं समुदाय आधारित रणनीतियों को समन्वित रूप से कार्यान्वित किया जाये तो बाल-मृत्यु की दन में प्रभावकारी कमी लायी जा सकती है।

### गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान :

चिकित्सीय जटिलताओं के आरम्भ होने से पूर्व ही समुदाय में अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान बड़ी ही आसानी से निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर की जा सकती है:-

सूचक	मानक	मापदंड
गंभीर सूखा रोग (Severe Wasting)	लम्बाई के अनुपात में वजन	<-3 SD
गंभीर सूखा रोग (Severe Wasting)	तिरंगी पट्टी (MUAC)	<11.5 cm
दोनों पैरों में सूजन	चिकित्सी लक्षण	

### लम्बाई के अनुपात में वजन :


विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वृद्धि मानकों के अनुसार यदि लम्बाई के अनुपात में वजन <-SD से कम हो तो ऐसे बच्चों को गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है।

### तिरंगी पट्टी (MUAC)

- इस पट्टी के द्वारा 6 माह से 59 माह के बच्चों की बायीं बांह के उपरी हिस्से के बीच की गोलाई को मापा जाता है।
- कंधे एवं कोहनी के बीच के लम्बाई को पट्टी की सहायता से माप कर बीच का बिन्दु निर्धारित कर बांह पर निशान लगायें।
- निर्धारित निशान के स्थान पर बांह की गोलाई को तिरंगी पट्टी की सहायता से मापें। मापते समय पट्टी न तो अत्यधिक कसी हुई होनी चाहिए और न


ही अत्यधिक ढ़ीली।

- यदि बांह की गोलाई 11.5 cm से कम है तो बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित माना जायेगा।



#### दोनों पैरों में सूजन:

यदि बच्चे के दोनों पैरों में सूजन दिखाई दे तो सूजन के स्थान पर अंगुठे से तीन सेकेन्ड तक दबाकर रखें। अंगूठा हटाने पर यदि उस स्थान पर गढ़दा दिखाई दे तो समझना चाहिए कि बच्चे में सूजन के चिकित्सीय लक्षण है एवं बच्चों गंभीर रूप से कुपोषित हैं।



#### ए.एन.एम./आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहिया के लिए दिशा-निर्देश:

- चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाएं अपने क्षेत्र में निवास करने वाले सभी 0–5 वर्ष के बच्चों के बाएं हाथ के उपरी हिस्से के बीच की गोलाई (Middle Upper Arm Circumference) को MUAC Tape की सहायता से मापें।

- प्रत्येक बच्चे की MUAC की माप अपनी वृद्धि निगरानी रहिस्टर एवं चार्ट में संबंधित बच्चे के नाम के साथ नोट करें।
- जिन बच्चों के MUAC की माप 11.5 cm से कम हो उनका नाम एवं विवरण संबंधित प्रपत्र में भरकर परियोजना में जमा करें।
- जिन बच्चों के MUAC की माप 11.5 cm से कम हो उन्हें तत्काल अपने जिले के कुपोषण उपचार केन्द्र अथवा चिकित्सीय पोषण पूनर्वास केन्द्र को संदर्भित करें।
- जो गंभीर ग्रस्त बच्चे उक्त केन्द्रों में भर्ती नहीं होंगे उन्हें आंगनबाड़ी सेविका, सहिया अथवा माता सहायता समूह के सदस्यों के साथ जोड़कर घर पर उनकी समुचित देखभाल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर उन्हें पूरी मात्रा में विशेष रूप से तैयार किया हुआ अतिरिक्त पोषाहार प्रदान करना एवं सेवन करना सुनिश्चित करें।



**झारखण्ड सरकार**  
**समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग**  
(समाज कल्याण निदेशलय)  
पत्र संख्या 106डी/स.क.

प्रेषक,  
पुष्पा मराणडी  
निदेशक, समाज कल्याण।

सेवा में,  
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी  
रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला—खरसांवा

राँची, दिनांक 27.08.2010 ई।

**विषय :** अति गंभीर कुपोषण (SAM) के प्रबन्धन रणनीति संबंधी प्रशिक्षण में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में एन.आर.एच.एम. एवं आई.सी.डी.एस. के समन्वय एवं यूनिसेफ के सहयोग से अति गंभीर कुपोषण के प्रबन्धन की विशेष रणनीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2010 के अवसर पर अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान हेतु अभियान चलाने के साथ—साथ उनका प्रबन्धन सुनिश्चित करने की योजना है। जिसके लिए उक्त रणनीति के अन्तर्गत कुपोषण उपचार केन्द्रों के अतिरिक्त पोषण पुर्नवास केन्द्र (Nutrition Rehabilitation Centre) खोलने एवं समुदाय आधारित प्रबन्धन की रणनीति का कार्यान्वयन किया जाना है। इस संबंध में दिनांक 03.09.2010 को पूर्वाहन 10.00 बजे से होटल अशोका, रांची में यूनिसेफ के सहयोग से राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनीमिया कार्यक्रम एवं दुलार रणनीति के सभी समन्वयकों एवं जिला सहयोगी सदस्यों को सम्मय उपस्थिति सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

८.८.२०१०  
(पुष्पा मराणडी)

निदेशक, समाज कल्याण)



**झारखण्ड सरकार**  
**समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग**  
(समाज कल्याण निदेशालय)  
पत्र संख्या 13 डी./स.क।

प्रेषक,

डॉ. एम.एन. केरकेट्टा  
निदेशक, समाज कल्याण

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,  
राँची, पूर्वी सिंहभूम एवं प. सिंहभूम

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,  
सरायकेला—खरसावां एवं गढवा।

राँची, दिनांक 7.2.2009 ई।

विषय : अति गंभीर कुपोषण के प्रबंधन हेतु रणनीति के अन्तर्गत अति कुपोषित बच्चों की पहचान हेतु अभियान के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि युनिसेफ के सहयोग द्वारा समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से झारखण्ड राज्य में अति गंभीर कुपोषण के प्रबंधन हेतु रणनीति की कार्ययोजना तैयार की गई है। जिसे प्रमुख उद्देश्य है—

- एक वर्ष के भीतर 5 वर्ष तक के बच्चों की कुपोषण की दर में 10 प्रतिशत तथा अति कुपोषित बच्चों की संख्या में 5 प्रतिशत तक की कमी लाना
- आई.सी.डी.एस. की सहायता से आंगनबाड़ी केन्द्रों में समुदाय आधारित पोषण एवं देखभाल की प्रणाली स्थापीत करना।
- NRHM के माध्यम से अस्पतालों तथा अति गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों हेतु चिकित्सा सुविधाओं तथा उपचारात्तक पोषण एवं देखभाल की व्यवस्था करना।
- गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की चिकित्सा पश्चात देखभाल एवं फॉलोअप विकसित करना।
- अति गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान करने, उन्हें उपचारात्मक आहार देने तथा समय पर संदर्भ सेवा प्रदान कर कुपोषण उपचार केन्द्र भेजन के संबंध में आ.सी.डी.एक. एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं की क्षमता वृद्धि करना।

प्रथम चरण में, राज्य के चार जिलों (राँची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढवा) मे कुपोषण उपचार केन्द्रों की स्थापाना की गयी है। साथ ही वक्त रणनीति के अन्तर्गत अति कुपोषित बच्चों के लिए आंगनबाड़ी

सेविका, ए.एन.एम. तथा सहिया से कृह आधारित प्रबंधन भी किया जाना है। दूसरे चरण में अन्य सभी जिलों में भी प्रशिक्षण कुपोषण उपचार केन्द्रों की स्थापना करने की योजना है।

उक्त रणनीति के कार्यान्वयन से पूर्व सभी जिलों में अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान MUAC टेप के द्वारा किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जिसके लिए 15 फरवरी से 15 मार्च 2009 के बीच अभियान चलाया जाना है। Middle Upper Arm circumference (MUAC) टेप, रेफरल स्लिप -----प्रेषित किया जा रहा है। उक्त सामग्रियाँ आपके जिले को— सेविकाओं के माध्य से अपने जिले में MUAC टेप के माध्यम से अति कुपोषित बच्चों के पहचान करने की कृपाय करेंगे ताकि उनके उपचार हेतु गृह एवं अस्ताल आधारित प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त सूची की एक प्रति 10 मार्च 2009 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को प्रेषित करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन

ह/-.

(डॉ. एम.एन.केर केट्टा)  
निदेशक समाज कल्याण।


झापांक : 13 डी./स.क.

राँची, दिनांक 4.2.2009 ई.।

प्रतिलिपि- श्रीमती संगिता जैकब, परियोजना पदाधिकारी, युनिसेफद्व झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।



(डॉ. एम.एन. केरकेट्टा)  
निदेशक समाज कल्याण।



पत्रांक : 9/RCH-512/09-1252/11(D) (RCH)

दिनांक : 1.7.11

प्रेषक,

निदेशक प्रमुख,  
स्वास्थ्य सेवाएं,  
झारखण्ड रांची।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाक्षिकारी,  
बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, राँची, साहेबगंज।

**विषय :** द्वितीय चरण में 10 कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्रों के अभी तक संचालित नहीं होने के संबंध में।

**प्रसंग :** पत्रांक 9/RCH-73/2011-509 (MD) दिनांक 12.05.2011 / पत्रांक 9/RCH-73/2011-220 (MD) दिनांक 15.03.2011 तथा पत्रांक 9/RCH-354-257/11(D)/RCH दिनांक 22.01.2011

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड में कुपोषित बच्चों की संख्या 59 प्रतिशत (NFHS III) है। अति गम्भीर कुपोषित बच्चों के उपचार एवं प्रबन्धन हेतु समय—समय पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिशा निर्देश दी गयी है। जिसके आलोक में झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में 2-2 इकाई कुपोषण उपचार केन्द्र संचालित है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित इन इकाईयों में से 10 इकाईयों का विस्तार 10 शय्या वाले कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र (Phase II) के रूप में किया गया है। विस्तार केन्द्रों के लिए चयनित सभी कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उक्त 10 स्वीकृत इकाईयों में से अबतक मात्र 3 कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ किया गया है। फलस्वरूप कई अति गम्भीर कुपोषण बच्चे उपचार से वंचित रह जा रहे हैं, जो एक गम्भीर विषय है। द्वितीय चरण में स्वीकृत कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्रों की स्थिति निम्नवत् है:-

क्र.	जिला	कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र	स्थिति
1.	बोकारो	चास	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थान - स्थान चिन्हित है किन्तु रंग—रोगन एवं चाईल्ड फ्रेन्डली वॉल पेन्टिंग का कार्य नहीं हुआ है। वॉर्ड के लिए Inverter, पर्दे इत्यादि का क्रय लम्बित है।</li> <li>बेड - बेड उपलब्ध है किन्तु गद्दा, कम्बल, तकिया, चाईल्ड फ्रेन्डली चादरें नहीं खरीदी गई हैं।</li> <li>रसोई सामग्री - रसोई के लिए बर्तन, मिक्सी इत्यादि का क्रय नहीं हुआ है।</li> </ul>
2.	चतरा	चतरा सदर	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थान - स्थान चिन्हित है किन्तु मरम्मती का कार्य शुरू नहीं हुआ है।</li> <li>बेड - बेड उपलब्ध है किन्तु गद्दा, कम्बल, तकिया, चाईल्ड फ्रेन्डली चादरें नहीं खरीदी गई हैं।</li> <li>रसोई सामग्री - रसोई के लिए बर्तन, मिक्सी, Freeze इत्यादि का क्रय नहीं हुआ है।</li> <li>किसी भी स्तर से कोई कार्रवाई नहीं।</li> </ul>

क्र.	जिला	कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र	स्थिति
3.	धनबाद	गोविन्दपुर	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थान - स्थान चिह्नित है और मरम्मती का कार्य हो रहा है।</li> <li>वार्ड एवं किचन की सभी सामग्रियों का क्रय लम्बित।</li> </ul>
4.	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थान - स्थल चिह्नित है किन्तु मरम्मत एवं रंग रोपन का कार्य आरम्भ हुआ है।</li> <li>वार्ड एवं किचन की सभी सामग्रियों का क्रय लम्बित।</li> </ul>
5.	गढ़वा	सदर गढ़वा	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थान - स्थल चिह्नीत है किन्तु मरम्मत एवं रंग रोपर का कार्य नहीं हुआ है।</li> <li>वार्ड एवं किचन की सभी सामग्रियों का क्रय लम्बित।</li> </ul>
6.	राँची	बुण्डू	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थान - स्थान चिह्नित है और मरम्मती का कार्य हो गया है। किन्तु रंग रोपन एवं चाईल्ड फ्रेन्डली वॉल पेन्टिंग का कार्य नहीं हुआ है।</li> <li>बेड - बेड, गद्दा, कम्बल, तकिया, उपलब्ध है किन्तु चाईल्ड फ्रेन्डली चादरें एवं पर्दों का क्रय नहीं हुआ है।</li> <li>वार्ड एवं किचन की सभी सामग्रियों का क्रय लम्बित।</li> </ul>
7.	साहेबगंज	साहेबगंज सदर	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थान - स्थल चिह्नित है किन्तु मरम्मत एवं रंग रोपन का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।</li> <li>वार्ड एवं किचन की सभी सामग्रियों का क्रय लम्बित।</li> </ul>

प्रसंगाधीन पौं द्वारा निर्गत आदेश का अनुपालन आपके स्तर से लम्बित है। राज्य स्तर से निर्गत मार्ग—निर्देश के 3 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी MTEC का अनुपालन नहीं होना काफी खेद का विषय रहा है।

अतः निदेशित किया जाता है कि दिनांक 07.07.2011 तक किसी भी परिस्थिति में उक्त कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ किया जाय एवं इसकी जानकारी अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

25/6/11  
 (डॉ. प्रवीण चन्द्र)  
 निदेशक प्रमुख  
 स्वास्थ्य सेवाएँ

ज्ञापांक : 1252/11(D) (RCH)

दिनांक : \_\_\_\_\_

#### प्रतिलिपि:-

- उपायुक्त, बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, राँची, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- श्रीमती संगीता जैकब, पोषण विशेषज्ञ, युनिसेफ, झारखंड को सूचनार्थ प्रेषित।
- राज्य सूक्ष्म पोशक तत्व एवं पोषण कोषांग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/6/11  
 (डॉ. प्रवीण चन्द्र)  
 निदेशक प्रमुख

# आराधना पटनायक

भा.प्र.से.

## अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड

फोन : 91-651-2261000, 2261001

फैक्स : 91-651-2490314, 2261856

ईमेल : nrhmjharkhand@yahoo.com

पत्रांक : 9/RCH-73/2011-220 (MD)



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

झारखण्ड सरकार

राजकीय टीकौषणि संस्थान परिसर

आर.सी.एच. नामकुम, रांची - 834010

सेवा में,

दिनांक : 15.3.11

असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

गुमला / खुँटी / चतरा / गढ़वा / साहेबगंज / जामताड़ा / राँची / बोकारो / धनबाद / पूर्वी सिंहभूम  
झारखण्ड

**विषय :** द्वितीय चरण में 10 कुपोषण केन्द्रों के संचालन हेतु दिशा-निर्देश।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य में जन्म से पाँच वर्ष के बच्चों में कुपोषण की दर 59 प्रतिशत है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। इसी के साथ—साथ बच्चों में अति गम्भीर कुपोषण की संख्या भी अत्याधिक है। अति गम्भीर कुपोषण प्रबन्धन हेतु झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में 2-2 इकाई कुपोषण उपचार केन्द्र संचालित है। अब तक अस्पताल आधारित कुपोषण उपचार केन्द्र सेवा द्वारा ही इन बच्चों का उपचार होता रहा है, जिससे सीमित संख्या में ही लाभार्थियों को सेवा दी जा सकती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा संचालित इंकाईयों में से जिलों में 10 इकाईयों का विस्तार 10 शय्या वाले कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र के रूप में किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा युनिसेफ के सहयोग से निम्नलिखित 9 संचालित कुपोषण उपचार केन्द्रों का चुनाव किया गया है, जिसमें कुपोषण विस्तार केन्द्रों का संचालन किया जाना है तथा गोविन्दपुर, धनबाद में कुपोषण उपचार केन्द्र का संचालन होना है। उक्त केन्द्रों (MTEC) के संचालन हेतु प्रथम 6 महिनों का वित्तीय भार यूनिसेफ द्वारा वहन किया जायेगा, शेष 6 महिनों का वहन एन.आर.एच.एम. से किया जाएगा।

क्र.	जिला का नाम	स्थान का नाम	केन्द्र
1.	गुमला	रायडीह	MTEC
2.	खुँटी	तोरपा	MTEC
3.	चतरा	सदर अस्पताल, चतरा	MTEC
4.	गढ़वा	सदर अस्पताल, गढ़वा	MTEC
5.	साहेबगंज	सदर अस्पताल, साहेबगंज	MTEC



क्र.	जिला का नाम	स्थान का नाम	केन्द्र
6.	जामताड़ा	नाला	MTEC
7.	राँची	बुण्डू	MTEC
8.	बोकारो	चास	MTEC
9.	धनबाद	गोविन्दपुर	MTEC
10.	पूर्वी सिंहभूम	घाटशीला	MTEC

उक्त 10 नये कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ करने हेतु दिशा-निर्देश :-

#### कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र की संरचना :-

- कुपोषण उपचार केन्द्र के परिसर के पास ही कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र का संचालन किया जाय।
- तीन से चार कमरों की जगह चुनी जाय तथा कमरे हवादार, प्रकाशमय, साफसुथरे हों एवं 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हो।
- उसमें से एक कमरा किचन और एक कमरा बच्चों के स्क्रीनिंग के लिए होना चाहिए।
- वार्ड इतना बड़ा हो जिसमें 10 बेड रखने की सुविधा हो या या एक या दो कमरों में समायोजन किये जा सके। प्रत्येक बेड के साथ साईड टेबल, गद्दा, बेबी प्रिंट वाली चादर-तकिया एवं कम्बल की व्यवस्था होनी चाहिए।
- वॉर्ड की दिवारों में बच्चों को आकर्षित करने के लिए उनपर कार्टून, पक्षी, जानवर इत्यादि की पैटिंग की जाय।
- केन्द्र में एक अलग कमरे की व्यवस्था की जाय जहाँ दरी बिछाकर दिन के समय बच्चों को फिडिंग करायी जा सके।
- कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र में बच्चों के भावनात्मक विकास हेतु गतिविधियों के लिए एक कमरे को प्ले हाउस के रूप में चिह्नित किया जाय। माताओं के द्वारा No Cost/ Low Cost आधारित खिलौनों का निर्माण ए.एन.एम. की मदद से करायी जाय।
- एक शौचालय एवं स्नान घर भी व्यवस्था की जाय।

#### सुसज्जा एवं सुविधाएः:-

कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र को संलग्न सूची के अनुसार सुसज्जित किया जाए।

युनिसेफ से प्राप्त राशि से निम्नलिखित सामग्रियों का क्रय किया जाएगा (संलग्न बजट के क्रमांक 3 में उपलब्ध राशि से):-

Sl. No.	NAME OF ITEMS	QUANTITY
A	<b>Kitchen Items</b>	
1.	Pressure Cooker (6.5 Litres & 4 litres)	2
2.	Mixer	1
3.	Gas Cylinder connection	1
4.	Katori (2 dozens-Medium & 2 dozen - Big)	48

Sl. No.	NAME OF ITEMS	QUANTITY
5.	Tea spoon	24
6.	Table spoons	24
7.	Plates	24
8.	serving spoons	6
9.	Dekchi with lid (Big sizes)	4
10.	Air tight containers (preferably st. steel - 4 kg capacity)	12
11.	Kadhai (Small - 2 & Big-2)	4
12.	Cholni	2
13.	Glasses	24
14.	Tray	4
15.	Napkins for kitchen	6
16.	Gas lighter	1
17.	Knives & Peelers	4
18.	Balti Steel	4
<b>B</b>	<b>Items for furnishing of ward</b>	
1.	Emergency Light	2
2.	Bed sheet	40
3.	Pillow covers	40
4.	Blankets	20
5.	Mosquito nets	20
6.	Dari	10
7.	Mat	5
8.	Shoes stand	1

निम्न सामग्रियाँ युनिसेफ द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी :-

S.No.	NAME OF ITEMS	Quantity
1.	Digital weighing machine	1
2.	House hold weighing machine (5 kg)	1
3.	Weight for Height chart	1
4.	WHO Treatment protocol	1
5.	Length/Height chart	1

कृपोषण उपचार विस्तार केन्द्र में निम्नलिखित आवश्यक सामग्रियों का प्रावधान आपके स्तर से किया जाना है:

S.No.	NAME OF ITEMS	Quantity
1.	Beds	10

S.No.	NAME OF ITEMS	Quantity
2.	Water Purifier	1
3.	Refrigerator	1
4.	Ceiling Fan	3
5.	Invertor + Stabilizer	1
6.	Room heater	2
7.	Pillows	20
8.	Mattresses	20
9.	Tables	3
10.	Chairs	6
11.	Almirah for record and files	2
12.	File cabinet	2

#### पोषण सामग्री एवं भण्डारण :-

कुपोषण उपचार विस्तर कुन्द्र में रसोई घर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जहाँ गंभीर कुपोषित बच्चों का चिकित्सीय आहार बनाने की सुविधा हो। संलग्न सूची के अनुसार युनिसेफ से प्राप्त राशि से बर्तन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

भर्ती बच्चों के लिए चिकित्सीय आहार बनाने हेतु आवश्यक सामग्री का भण्डारण दस से पन्द्रह दिन का अवश्य किया जाना चाहिए एवं एफ-100 बनाने के लिए आवश्यक दूध का क्रय रोज होना चाहिए।

#### रेफरल एवं भर्ती :-

कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र में भर्ती योग्यता हेतु WHO Protocol का पालन सुनिश्चित करें, (लम्बाई के आधार पर वजन – 3 sd से कम हों या बाई भुजा के मध्य भाग की गोलाई (MUAC) 11.5 से.मी. से कम हो या दोनों पैरों में सूजन हो)। समुदाय से गम्भीर कुपोषित बच्चों को चिनहित कर उन्हें कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र में आंगनबाड़ी सेविका, सहिया आदि के द्वारा रेफर किया जाए। रेफर करने वाले को प्रत्येक रेफरल में प्रोत्साहन के रूप में रु. 100/- प्रति बच्चा दिया जाएगा।

#### परिवार के सदस्यों का सशक्तिकरण :-

कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को भर्ती किया जाता है। इन बच्चों के साथ उनकी माँ या परिवार के किसी भी सदस्य को रहने की सुविधा दी जाती है। इन सदस्यों को क्षतिपूर्ति (Wage compensation) के रूप में रु. 100/- प्रति दिन दिया जाना है।

सभी कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र में परामर्श विषयानुसार चार्ट बनाया जाय और उस अनुसार माताओं हेतु परामर्श सत्र आयोजित किए जाए। इनमें माताओं को परामर्श दें एवं सशक्त करें कि वे घर पर बच्चों की किस प्रकार देखभाल करेंगी। उन्हें बताया जाय कि बच्चों को दिन में कितनी बार एवं कितनी मात्रा में भोजन दिया जाय। खाना बनाते व खिलाते समय वातावरण और हाथों की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। खिलाते समय बच्चे से बात करें, मुस्कुराएं एवं चेहरे के हाव-भाव से उसे प्रोत्साहित करें। सही वातावरण और प्रोत्साहन बच्चे की वृद्धि के विकास में सहायक होता है।

## **Discharge का प्रावधान:-**

कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र से विरमित करने के लिए नए WHO के मापदण्ड का पालन करें। यदि बच्चे के पैरों में सूजन है, किन्तु फिर भी अगर वो चिकित्सीय आहार ठीक से खा रहा है, तब उस परिस्थिति में शुरू में उसका वजन घटेगा। शरीर की सूजन समाप्त होने पर बच्चे का वजन जब 15 प्रतिशत बढ़ जाता है तब उसे विरमित किया जा सकता है।

जो बच्चे सूखा रोग (Marasmus) से ग्रसित हैं, उनका वजन भर्ती के समय लिए गये वजन से 15 प्रतिशत बढ़ जाता है तब उन्हें विरमित किया जा सकता है।

## **बजट संचालन :-**

बजट संचालन हेतु सूची संलग्न है। अगर पारित बजट में कुछ बदलाव हो तो उस स्थिति में अनुमति ली जाए।

## **कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र में कर्मचारियों की पद स्थापना :-**

कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र में निम्न प्रकार से पदस्थापना की जाएगी।

क्रमांक	पदनाम	पात्रता	संख्या
1.	चिकित्सक (MTC के चिकित्सा पदाधिकारी ही MTEC के प्रभारी चिकित्सक होंगे।)	चिकित्सक	1
2.	समुपदेशिका (Counselor)	ग्रेड ए नर्स	1
3.	आहार नियोजिका (Diet Organizer)	ए.एन.एम.	4
4.	सफाई कर्मी	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	1

## **कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र की मासिक प्रगति प्रतिवेदन :-**

कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सॉफ्ट कॉपी ई मेल के माध्यम से nrhmjharkhand@yahoo.co.in एवं chjharkhand@gmail.com पर उपलब्ध कराएं। साथ ही उक्त प्रतिवेदन डाक द्वारा भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

अतः निदेश दिया जाता है कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों से मसन्चय स्थापित कर कुपोषित बच्चों के इलाज हेतु कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्रों के शीघ्र संचालन प्रारम्भ करना सुनिश्चित किया जाय।

## **अनुलग्नक :-**

- कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्रों के संचालन हेतु बजट की प्रति संलग्न।
- रसोईघर एवं वार्ड के सुसज्जित से संबंधित आवश्यक उपकरण एवं सामग्री की प्रति संलग्न।

विश्वासभाजन

(अभियान निदेशक)

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. उपायुक्त, गुमला / खुँटी / चतरा / गढ़वा / साहेबगंज / जामताड़ा / राँची / बोकारो / धनबाद / पूर्वी सिंहभूम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. डॉ. अजीत कुमार प्रसाद, उप निदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमती संगीता जैकब, पोषण विशेषज्ञ, युनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. श्री राजन कुमार, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक को सूचनार्थ प्रेषित।
6. श्रीमती सुचन्द्रा पाण्डा, राज्य प्रशिक्षण कन्सलटेन्ट को सूचनार्थ प्रेषित।
7. राज्य सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पोषण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

~~15.3.11~~

(अभियान निदेशक)

**कृपोषण उपचार विस्तार केन्द्रों के संचालन हेतु बजटः-**

Sl.	Activities	Unit Cost	Days/Month	Budget (Rs.)
1.	Minor Work on Kitchen (one time)	25000.00	-	25000.00
2.	Minor Work on Child Friendly Ward (one time)	25000.00	-	25000.00
3.	Utensil, Mix Grinder, Gas Connection for Kitchen (one time)	15000.00	-	15000.00
4.	Raw materials for preparation of ready to use food for children @25/- per children per day x 10 child x 30 days	7500.00	7	52500.00
5.	Record Keeping and Photography	3000.00	7	21000.00
6.	Wage Compensation-cum-food to child care taker of family member @300 per day x 10 families x 30 days	30000.00	7	210000.00
7.	Gas refilling, xerox, stationery, cleanliness of utensil etc per month	2500.00	7	17500.00
8.	Advance Treatment to children @250/- per child x 20 child per month	5000.00	7	35000.00
9.	Incentive to motivator for referral cases of child @100/- per child x20 motivators per month	2000.00	7	14000.00
10.	Incentive to motivator after completion of 3 follow-up @100x20 children per month	2000.00	5	10000.00
<b>Total : 425000.00</b>				
<b>Cost of 10 MTECs : 4250000.00</b>				


क्रमांक 1 एवं 2 में उपलब्ध करायी जाने वाली कुल राशि 50,000/- (पचास हजार) रूपये को निम्न प्रकार व्यय किया जा सकता है।

Sl.	Activity	Amount (Rs.)
1.	Setting Up Platform & Sink in Kitchen	6000.00
2.	Water Connection	4000.00
3.	Electric Wiring & Fitting	2000.00
4.	Renovation of Wards (Roofing, Flooring, Renovation of walls etc.)	20000.00
5.	White Wash	5000.00
6.	Child Friendly wall painting	10000.00
7.	Child friendly furnishing (Bedsheets, pillow cover, etc.)	50000.00

*14.3.11*

(अभियान निदेशक)





पत्रांक : 9/RCH-354-09-292/11(D) Retd.

दिनांक : 1.2.11

प्रेषक,

डॉ. प्रवीण चन्द्र,  
निदेशक स्वास्थ्य,  
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सिविल सर्जन

पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला—खरसावाँ/पलामू/लातेहार/रामगढ़/लोहरदगा/सिमडेगा/देवघर/जामताड़ा/  
दुमका/कोडरमा/धनबाद/हजारीबाग।

**विषय :** कुपोषण उपचार केन्द्र एवं कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र के संचालन के संबंध में।

महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्यस्तर से बारम्बार स्मारित किये जाने के बावजूद भी अब तक निम्नांकित कुपोषण उपचार केन्द्र/कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र के सुगमतापूर्वक संचालन हेतु पत्रांक 9/RCH-407/2010-1229(MD) दिनांक 20.10.2010 द्वारा संबंधित जिलों को राशि उपलब्ध करा दी जा चुकी है।

क. निम्नलिखित कुपोषण उपचार केन्द्र/कुपोषण उपचार केन्द्र का तुरंत संचालन प्रारम्भ करें।

1. चाण्डिल (सरायकेला—खरसावाँ)
2. बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम)
3. चैनपुर (पलामू)
4. चन्दवा (लातेहार)
5. सदर अस्पताल हजारीबाग
6. दुमका
7. सदर अस्पताल (पाकुड़)

ख. उक्त के अतिरिक्त निम्नांकित कुपोषण उपचार केन्द्र/कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र में उपलब्ध बेड के विरुद्ध कम अति गंभीर कुपोषित बच्चे इलाजरत हैं। इस कारण कुपोषण उपचार केन्द्र/कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र को Bed Occupancy कम है। अतः इसमें उपलब्ध Bed का समुचित उपयोग किया जाए।

1. भंडरा (लोहरदगा)
2. कोलेबीरा (सिमडेगा)

3. सदर देवघर (दैवघर)
4. नाला (जामताड़ा)
5. जरमुंडी (दुमका)
6. डोमचांच (कोडरमा)
7. तोपचांची (धनबाद)
8. केरेडारी (हजारीबाग)
9. सदर सरायकेला (सरायकेला—खरसावाँ)

ग. भरेचनगर (रामगढ़) यथाशीघ्र पतरातु में स्थानान्तरित किया जाना है ताकि इसका बेहतर सदुपयोग हो सके।

व्यक्तिगत रूचि लेकर संबंधित कुपोषण उपचार केन्द्र/कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र के सफलतापूर्वक संचालन हेतु आई.सी.डी.एस. से समन्वय स्थापित कर कुपोषण उपचार केन्द्र/कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र का संचालन दिनांक 10 फरवरी 2011 तक करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन



(प्रवीण चन्द्र)  
निदेशक स्वास्थ्य

ज्ञापांक : 292/11 (D) (RCH)

दिनांक : 1.2.11

#### प्रतिलिपि:-

1. अभियान निदेशक, एन.आर.एच.एम., झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम/सरायकेला—खरसावाँ/पलामू/लातेहार/रामगढ़/लोहरदगा/सिमडेगा/देवघर/जामताड़ा/दुमका/धनबाद/हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. डॉ. अंजलि दास, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी निदेशक, अपर निदेशक, उपनिदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।
6. श्रीमति संगीता जैकब, पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
7. State Micronutrient & Nutrition Cell को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(प्रवीण चन्द्र)  
निदेशक स्वास्थ्य



पत्रांक : 9/RCH-357/11(D) RCH

प्रेषकः

डॉ प्रवीण चन्द्र

निदेशक (स्वा.)

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

नामकुम, रांची

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी

राँची/खुंटी/पू.सिंहभूम/चतरा/बोकारो/कोडरमा/जामतारा/साहेबगंज/गढ़वा/गुमला।

**विषय :** “कुपोषण उपचार-विस्तार केन्द्र (Malnutrition Treatment Extension Centre) खोलने के संबंध में”

महाशय/महाशया,

विदित हो कि राज्य के 10 जिलों में युनिसेफ की सहयोग से 10 कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र (MTEC) खोलने का निर्ण लिया गया है। जिसकी सूची इस प्रकार है—

क्रम संख्या	जिला का नाम	स्थान का नाम
1	खुंटी	तोरपा
2	चतरा	सदर अस्पताल
3	बोकारो	रेफरल अस्पताल, चास
4	कोडरमा	डोचांच
5	जामतारा	सदर अस्पताल
6	साहेबगंज	सदर अस्पताल
7	गढ़वा	सदर अस्पताल
8	गुमला	रायडीह
9	राँची	बुण्डु
10	पू.सिंहभूम	घाटशीला

आपको सूचित करना है कि आपके जिलान्तर्गत खोले जाने वाले MTEC के लिए स्थान का यथाशीघ्र चयन करें, जो MTC परिसर के पास हो जिसमें MTC के के अतिरिक्त 10 बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करें, एवं अलग से एक रसोई घर की व्यवस्था होनी चाहिए जहां गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का चिकित्सीय आहार बनाने की सुविधा हो, तथा पारा मेडिकल स्टाफ (ग्रेड 'ए' नर्स / एल.एच.वी – 1, ए.एन.एम.–4) की पदस्थिति कर उसकी सूची दिनांक 31.01.2011 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त केन्द्र हेतु कुपोषण उपचार



दिनांक : 22.1.11

केन्द्र के चिकित्सा पदाधिकारी की MTEC के के प्रभारी चिकित्सक होंगे। MTEC को यथाशीघ्र चालू करने हेतु चिकित्सा पदाधिकारी तथा पारा मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित करना अति आवश्यक है।

विश्वासभाजन

निदेशक (स्वा.)

ज्ञापांक : 257/11(D) (RCH)

दिनांक : 22.1.11

प्रतिलिपि :

1. सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. डॉ. अजित कुमार प्रसाद, उप निदेशक को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री राजन कुमार, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमती सुचन्द्रा पण्डा, राज्य प्रशिक्षण कन्लटेन्ट को सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमती संगीता जैकब, पोषण विशेषज्ञ, युनिसेफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (स्वा.)

# आराधना पटनायक

भा.प्र.से.

अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड

फोन : 91-651-2261000, 2261001

फैक्स : 91-651-2490314, 2261856

ईमेल : nrhmjharkhand@yahoo.com



Government of Jharkhand

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

झारखण्ड सरकार

राजकीय टीकौषणि संस्थान परिसर

आर.सी.एच. नामकुम, रांची - 834010

पत्रांक : 9/RCH-354/09-08 (MD)

दिनांक : 04.01.2011

सेवा में,

श्रीमती संगीता जैकब,

बाल विकास एवं न्यूट्रीशन पदाधिकारी,

युनिसेफ, झारखण्ड, रांची

विषय : राज्य के 10 जिलों में कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र खोलने के संबंध में।

महाशय,

विदित हो कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के 10 जिलों में कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र (MTEC) खोलने हेतु फंड उपलब्ध करायी जा चुकी है। राज्य के बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने में आपके द्वारा दी जा रही सहयोग काफी प्रशंसनीय रही है। राज्य के अंदर अति कुपोषित बच्चों की तादाद पर अंकुश लगाने हेतु युनिसेफ के सहयोग से 10 कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र खोलना राज्य के बच्चों के हित में श्रेयकर होगा।

अतः अनुरोध है कि युनिसेफ के सहयोग से राज्य के 10 जिलों में MTEC खोलवाने हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(अभियान निदेशक)





# आराधना पटनायक

भा.प्र.से.

## अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड

फोन : 91-651-2261000, 2261001

फैक्स : 91-651-2490314, 2261856

ईमेल : nrhmjharkhand@yahoo.com

पत्रांक : 9/RCH-299/09-1333 (MD)



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

झारखण्ड सरकार

राजकीय टीकौषधि संस्थान परिसर

आर.सी.एच. नामकुम, रांची - 834010

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
रांची/पू.सिंहभूम/प.सिंहभूम/हजारीबाग/गुमला/धनबाद/लातेहार/पलामू/दुमका/पाकुड़।

विषय : 'कुपोषण उपचार-विस्तर केन्द्र (Malnutrition Treatment-Extension Centre) से संबंधित प्रशिक्षण  
के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि :

- कुपोषण उपचार केन्द्र सह कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र के प्रीआरी चिकित्सा पदाधिकारी तथा पारा मेडिकल स्टाफ (ग्रेड 'ए' नर्स/एल.एच0वी – 1, ए.एन.एन.-4) का दो दिवसीय प्रशिक्षण राँची होटल अशोका में दिनांक 26.11.2010-27.11.2010 को आयोजित की जाएगी।
- इसमें राज्य के 10 चयनित कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों तथा पारा मेडिकल स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य है। कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है।
- उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए भोजन एवं आवासन की व्यवस्था युनिसेफ द्वारा की गयी है।
- आपको निदेशित किया जाता है कि आपके जिलात्तर्गत खोले जा रहे कुपोषण उपचार – विस्तार केन्द्र (Malnutrition Treatment - Extension Centre) के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं उक्त केन्द्र हेतु चयनित सभी पारा मेडिकल स्टाफ को पदस्थापित कर प्रशिक्षण की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे। सिविल सर्जन पदस्थापित किए गए चि. पदाधिकारी एवं पारा मेडिकल स्टाफ को पदस्थापित किए गए पत्र की एक प्रतिलिपि प्रतिभागियों के साथ लाना अनिवार्य होगा।

यदि प्रतिभागी प्रशिक्षण में विरमित होने के पश्चात भी भाग नहीं लेते हैं तो जितने दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा उनके उत्तरे दिन के वेतन में कटौती की जाएगी। यदि सिविल सर्जन प्रतिभागियों को ससमय विरमित नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।



## अनुलग्नकः कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र की सूची

विश्वासभाजन

(अभियान निदेशक)

### प्रतिलिपि :

1. संबंधित जिले के District RCH officer (Nodal Officer, Training) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित जिले के District Programme Management Unit (DPMU) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमति संगीता जैकब, बाल विकास एवं पोषण पदाधिकारी, युनिसेफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. राज्य सूक्ष्म पोषक तत्व एवं पोषण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अभियान निदेशक)

# आराधना पटनायक

भा.प्र.से.

## अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड

फोन : 91-651-2261000, 2261001

फैक्स : 91-651-2490314, 2261856

ईमेल : nrhmjharkhand@yahoo.com

पत्रांक : 9/RCH-73/2011-509 (MD)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

झारखण्ड सरकार

राजकीय टीकौषणि संस्थान परिसर

आर.सी.एच. नामकुम, राँची - 834010



सेवा में,

सिविल सर्जन

बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, जामताड़ा, खुंटी, राँची एवं साहेबगंज, झारखण्ड

**विषय :** जिलों में द्वितीय चरण के कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र (MTEC) हेतु राशि निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि Jharkhand State Rural Health Mission Society के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डोरण्डा, राँची के खाता संख्या 10923551127 से निम्न जिलों के सामने अंकित राशि RTGS से भेजी जा रही है। यह राशि जिलों में द्वितीय चरण के कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र (MTEC) के लिए भेजी जा रही है जिसकी बजट विवरणी संलग्न है। संबंधित सर्जन राशि प्राप्ति के पश्चात इसका खर्च ससमय करने के उपरान्त SDE राज्य मुख्यालय को निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

Sl. No.	Name of Dist.	Bank A/c No.	RTGS Code No.	Amount (in Rs.)
1	DRHS-Bokaro	2426000100252527	PUNB0242600	117000.00
2	DRHS-Chatra	481410110001636	BKID0004814	117000.00
3	DRHS-Dhanbad	1515000105128368	PUNB0151500	117000.00
4	DRHS-E.Singh.	30399344535	SBIN0001877	117000.00
5	DRHS-Garhwa	4051001700090591	PUNB0405100	117000.00
6	DRHS-Gumla	491310100067003	BKID0004913	117000.00
7	DRHS-Jamtara	30978259313	SBIN0006544	117000.00
8	DRHS-Khunti	30396413093	SBIN0001097	117000.00
9	DRHS-Ranchi	499310210000002	BKID0004993	117000.00
10	DRHS-Sahebganj	3058786431	SBIN0005613	117000.00
<b>Total</b>				<b>1170000.00</b>

विश्वासभाजन

अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन


झारखण्ड, राँची।



प्रतिलिपि :

1. संबंधित उपायुक्त को सूचनाथ्र एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

  
अभियान निदेशक  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन  
झारखण्ड, राँची।



## झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति

### स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांक : 9/RCH-73/2011\_\_\_\_\_

राँची दिनांक : 12.5.11

प्रेषक,

अधीक्षक  
राजकीय टीकौषधि संस्थान  
नामकुम, राँची, झारखण्ड।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,  
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,  
डोरण्डा, राँची, झारखण्ड।

**विषय :** जिलों में RTGS से राशि भेजने के संबंध में।

महशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजकीय टीकौषधि संस्थान के खाता संख्या 1092351127 से निम्न जिलों के सामने अंकित राशि RTGS से से उपलब्ध कराने की कृपा करें।

Sl. No.	Name of Dist.	bank A/c No.	RTGS Code No.	Amount (in Rs.)
1	DRHS-Bokaro	2426000100252527	PUNB0242600	117000.00
2	DRHS-Chatra	481410110001636	BKID0004814	117000.00
3	DRHS-Dhanbad	1515000105128368	PUNB0151500	117000.00
4	DRHS-E.Singh.	30399344535	SBIN0001877	117000.00
5	DRHS-Garhwa	4051001700090591	PUNB0405100	117000.00
6	DRHS-Gumla	491310100067003	BKID0004913	117000.00
7	DRHS-Jamtara	30978259313	SBIN0006544	117000.00
8	DRHS-Khunti	30396413093	SBIN0001097	117000.00
9	DRHS-Ranchi	49931021000002	BKID0004993	117000.00
10	DRHS-Sahebganj	3058786431	SBIN0005613	117000.00
<b>Total</b>				<b>1170000.00</b>


विश्वासभाजन

14/5/11

अधीक्षक,

राजकीय टीकौषधि संस्थाना,  
नामकुम, राँची, झारखण्ड।





## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड, राँची।

पत्रांक : 9/RCH-421-2010/11(D)

दिनांक : 11.04.2011

प्रेषक,

डॉ. प्रवीण चन्द्र,  
निदेशक, स्वास्थ्य,  
झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति,  
नामकुम, राँची।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी  
गुमला, खूँटी, चतरा, गढ़वा, साहेबगंज, जामताड़ा, राँची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो

विषय : द्वितीय चरण के कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र (Malnutrition Treatment Extension Center) के चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पारामेडिकल कर्मियों के प्रशिक्षण के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि द्वितीय चरण के कुपोषण उपचार विस्तार —— चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पारा मेडिकल स्टाफ का तीन दिवसीय प्रशिक्षण होटल अशोका राँची में दिनांक 26.4.11 - 28.4.11 को आयोजित की गयी है।

इस प्रशिक्षण में राज्य के 10 चयनित कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्र के लिए —— प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों तथा पारामेडिकल स्टाफ को भाग लेना है। (सूची संलग्न) —— कार्यक्रम में भाग लेने हेतु निर्धारित तिथि के एक दिन पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यदि प्रतिभागी प्रशिक्षण में विरमित होने के पश्चात भी भाग नहीं लेते हैं —— प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा उनके उतने दिन के बेतर की कटौती की जाएगी। यदि सिविल —— ससमय विरमित नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। —— संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए मधुलिका शर्मा, Unicef, Ph. 9934115631 से सम्पर्क कर सकते हैं।

अनुलग्नक : कुपोषण उपचार विस्तार केन्द्रो हेतु  
पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी  
एवं पारा मेडिकल कर्मियों की सूची।

विश्वासभाजन

(डॉ. प्रवीण चन्द्र)

## प्रतिलिपि :

1. संबंधित भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित जिलों के District RCH Officer (Nodal Officer, Training) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संबंधित जिलों के District Programme management unit (DPMU) को सूचनार्थ प्रेषित।
4. डॉ. अजीत प्रसाद उप निदेशक, नामकुम, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
5. संगीता जैकब, Nutrition Specialist, Unicef को सूचनार्थ प्रेषित। आप प्रशिक्षण में अपना — सहयोग प्रदान करेंगी।
6. State Micro Nutrient Cell, RCH Namkum को सूचनार्थ प्रेषित।



(डॉ. प्रवीण चन्द्र)

..... विस्तार केन्द्रों हेतु पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी एवं पारा मेडिकल कर्मियों की सूची

क्रम सं.	जिला का नाम	स्थान का नाम	प्रतिनियुक्त कर्मी का नाम	पदनाम
1.	गुमला	रायडीह	1. श्रीमती फुलमनी टाप्पे	
			2. श्रीमती फुलमनी मिंज	
			3. श्रीमती अंजली कुजूर	
			4. निर्मला तिर्कि	
2.	खुँटी	तोरपा	1. बेनदित गुडिया	
			2. सुचिता बारला	
			3. प्रभा चीक बड़ाईक	
			4. ब्रिजिट भेंगरा	
3.	चतरा	सदर चतरा	1. श्रीमती रीना कुमारी	
			2. श्रीमती चंचल कुमारी सिन्हा	
			3. श्रीमती संगीता कुमारी	
			4. श्रीमती मनोरमा कुमारी	
			5. श्रीमती नीरा सलोमी हेरेंज	
4.	गढ़वा	सदर गढ़वा	1. डा. विजय कुमार भारती	
			2. श्रीमती शोभा कुमारी	
			3. सुश्री बरखा कुमारी	
			4. सुश्री सोसेन सोरेंग	
			5. सुश्री नेहा स्वाती लकड़ा	
5.	साहेबगंज	सदर साहेबगंज	1. पूर्णिमा राय	
			2. पार्वती किस्कू	
			3. रुबी कुमारी	
			4. अनिता हेम्ब्रम	
			5. रिंकू कुमारी	
6.	जामताड़ा	नाला	1. डॉ. हरेन्द्र सिंह मुण्डा	
			2. श्रीमती उषा कुमारी	
			3. श्रीमती बिता कुमारी	
			4. श्रीमती सविता कुमारी	
			5. श्रीमती पिंकी कुमारी	
			6. श्रीमती ललिता कुमारी	

क्रम सं.	जिला का नाम	स्थान का नाम	प्रतिनियुक्त कर्मी का नाम	पदनाम
7.	राँची	बुण्डू	1. सुश्री बिनीता कच्छप 2. श्रीमती एन शांति मुण्डू 3. सुश्री पिंकी स्नेहा 4. श्रीमती सरोज देवी 5. सुश्री रशिम अनुपमा गाडी	
8.	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	1. रेखा कुमारी 2. पुनिता केरकेटटा 3. स्नेहलता राव 4. सुचिता ठोप्पो 5. फीबै सुरीन	
9.	धनबाद	गोविन्दपुर	1. डॉ. हमीदी रहमान 2. कंचन भारती 3. अंकिता कुमारी 4. रिंकी कुमारी 5. चायना दत्ता 6. अनु कुमारी	
10.	बोकारो	चास	1. श्रीमती शशि कुमारी 2. श्रीमती राधा कुमारी 3. श्रीमती रिंकी कुमारी 4. श्रीमती सरिता कुमारी 5. गंगा महतो	



(डॉ. प्रवीण चन्द्र)

# आराधना पटनायक

भा.प्र.से.

## अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड

फोन : 91-651-2261000, 2261001

फैक्स : 91-651-2490314, 2261856

ईमेल : nrhmjharkhand@yahoo.com

पत्रांक : 9/RCH-354/09-07(MD)



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

झारखण्ड सरकार

राजकीय टीकौषणि संस्थान परिसर

आर.सी.एच. नामकुम, रांची - 834010

सेवा में,

सभी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,  
झारखण्ड

**विषय :** अति कुपोषित बच्चों का रेफरल तथा फौलो-अप से संबंधित राज्य स्तरीय कार्य)ाला आयोजित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि सवास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग झारखण्ड तथा युनिसेफ के संयुक्त तथ्वाधान में कुपोषण उपचार केन्द्र के अंतर्गत बच्चों का रेफरल तथा फौलो-अप से संबंधित राज्य स्तरीय कार्यशाला दिनांक 17.01.2011 को होटल अशोक, रांची के सभागार में प्रातः 10 बजे शुरू होगी। उक्त कार्यशाला में राज्य के समस्त कुपोषण उपचार केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक कुपोषण उपचार केन्द्र से एक ए.एन.एम. तथा राज्य के समस्त जिला समाज कल्याण पदाधिकारी प्रतिभागी होंगे।

आपको निदेशित किया जाता है कि आपके जिले के कुपोषण उपचार केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, एम.टी.सी तथा एम.टी.ई.सी. से एक—एक ए.एन.एम को उक्त कार्यशाला हेतु निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अभियान निदेशक)

ज्ञापांक : 07 (MD)

दिनांक : 4.1.11

**प्रतिलिपि :** सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अभियान निदेशक)





**झारखण्ड सरकार**  
**समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग**  
(समाज कल्याण निदेशालय)  
ईन्जिनियर्स हॉस्टल, दूसरा तल्ला, धुर्वा, राँची।  
पत्र संख्या 21 डी./स.क।

प्रेषक,

अलका तिवारी  
सचिव, समाज कल्याण

सेवा में,

सभी उपायुक्त, झारखण्ड  
सभी समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड

राँची दिनांक 25.2.10

**विषय :** अति कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु स्थापित उपचार केन्द्रों के संचालन में सहयोग देने के संबंध में।

महाशय / महाशया

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बच्चों में कुपोषण झारखण्ड की एक गंभीर समस्या है कुपोषण से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है एवं उनकी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। मूल रूप से कुपोषण का कारण अपर्याप्त एवं असंतुलित भोजन से होता है। कुपोषण जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में विशेषकर 3 साल से छोटे बच्चों में शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास को भी प्रभावित करता है। इस क्षति को बाद के वर्षों में पूरा करना संभव नहीं है।

कुपोषण से होने वाली शिशु एवं बाल मृत्यु दर को कम करने हेतु NRHM के के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग एवं यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से झारखण्ड के 10 जिलों में 13 कुपोषण चिकित्सा केन्द्र (Malnutrition Treatment Centers) स्थापित किये गये हैं, जो निम्नवत् हैं:-

क्र.सं.	जिला का नाम	संख्या	कुपोषण उपचार केन्द्र का नाम
1.	राँची	2	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, मांडर एवं बुण्डु
2.	पूर्वी सिंहभूम	2	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र घाटशिला एवं परिवार कल्याण संस्थान गोलमुरी सह जुगसलाई
3.	पश्चिमी सिंहभूम	2	सदर चाईबासा एवं जगरनाथपुर
4.	गढ़वा	1	प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, नगरउठारी
5.	देवघर	1	सदर अस्पताल, देवघर
6.	जामतारा	1	सदर अस्पताल, जामतारा
7.	गोड्डा	1	रेफरल अस्पताल -----
8.	गुमला	1	सदर अस्पताल
9.	गिरिडीह	1	सदर अस्पताल
10.	धनबाद	1	----- केन्द्र, तोपचांची

वर्तमान वर्ष में अन्य सभी जिलों में भी कुपोषण चिकित्सा केन्द्र खोलने की योजना है। इन केन्द्रों के सफल संचालन हेतु आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें रेफर किया जाना आवश्यक है।

### कुपोषण चिकित्सा केन्द्र के निम्न उद्देश्य हैं -

- कुपोषण से होने वाली शिशु एवं बाल मृत्यु दर को कम करना।
- गंभीर रूप से कुपोषित, अस्पताल में भर्ती 5 वर्ष से छोटे बच्चों के बेहतर प्रबन्धन को बढ़ावा देना।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सभी चिकित्सालयों और परिवार स्तर पर भी कुपोषित बच्चों के उपचार और प्रबन्धन में एकरूपता लाना।
- चिकित्सकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमताओं में वृद्धि कर स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व जिला अस्पतालों में कुपोषित बच्चों के उपचार और प्रबन्धन की बेहतर व एक रूप व्यवस्था को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की देखभाल करने वाले परिजनों की क्षमता में वृद्धि करना ताकि ये परिवार स्तर पर अच्छी देखभाल व पोषण द्वारा पुनः कुपोषण से बचाव कर सकें।
- गंभीर कुपोषित और बीमार बच्चों के उपचार हेतु चिकित्सकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की दक्षता बढ़ाना।

### गंभीर कुपोषित बच्चों के प्रबंधन में आई.सी.डी.एस की भूमिका

कुपोषण की दर में कमी लाना आई.सी.डी.एस का एक प्रमुख उद्देश्य है। झारखण्ड में 0–3 वर्ष के बच्चों में से 59.2 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जो राज्य के लिये एक गंभीर चिन्ता का विषय है। विदित हो कि राज्य में WHO वृद्धि मानकों के लागू होते ही गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या में, लगभग चार गुना वृद्धि होने की संभावना है। अतः गंभीर कुपोषित बच्चों के प्रबंधन की रणनीति में आई.सी.डी.एस की महती भूमिका है।

### जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों की भूमिका

- सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को अभियान चलाकर गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान एवं प्रबंधन हेतु पत्र निर्गत देना।
- गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की नामवार सूची संलग्न प्रपत्र में भर कर समाज कल्याण निदेशालय को पत्र मिलने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराना।
- जिला स्तर पर सिविल सर्जन के साथ ससमय स्थापित कर गंभीर कुपोषण के प्रबन्धन की रणनीति का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- उपायुक्त की अध्यक्षता में होने वाले ——समिति की बैठकों में गंभीर कुपोषण की स्थिति की समीक्षा करना।

### बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की भूमिका-

- अभियान चलाकर सभी आँगनबाड़ी केन्द्र में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान करना तथा सूचीबद्ध करना तथा प्रत्येक माह MTC को को रेफर किये गये बच्चों की सूची प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध कराना।
- MTC में भर्ती हेतु बच्चों की प्रतीक्षा सूची परियोजना में तैयार रखना।

- परियोजना स्तरीय मासिक बैठकों में आँगनबाड़ी सेविकाओं के साथ नियमित रूप में गंभीर कुपोषण एवं उसके प्रबन्धन के संबंध में चर्चा करना।
- प्रखण्ड समन्वय समिति की बैठकों में गंभीर कुपोषण की स्थिति की समीक्षा करना।
- परियोजना स्तर पर प्रत्येक महिला पर्यवेक्षिका के आवंटित सेक्टर में कुपोषण की स्थिति का आकलन कर आँगनबाड़ी स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- परियोजना स्तर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर गंभीर कुपोषण के प्रबन्धन को आँगनबाड़ी स्तर पर सुनिश्चित करना।


### आँगनबाड़ी सेविकाओं की भूमिका:-

राज्य में चलाये जानेवाले अतिकुपोषित चिकित्सा उपचार केन्द्र की सफलता अस्पताल तथा समुदाय आधारित प्रबन्धन पर आधारित है। समुदाय आधारित प्रबन्धन में आँगनबाड़ी केन्द्रों की अहम् भूमिका है, जिसके लिए निम्नलिखित गतिविधियों को आँगनबाड़ी के केन्द्र के स्तर पर सुनिश्चित करना है:-

- 0-5 वर्ष के सभी बच्चों की आँगनबाड़ी केन्द्र पर नियमित वृद्धि निगरानी।
- वृद्धि निगरानी में माताओं की उपस्थिति तथा भागीदारी।
- अल्प कुपोषित तथा गम्भीर कुपोषित बच्चों की सूची तैयार करना।
- कुपोषित बच्चों की सूची का आँगनबाड़ी केन्द्र की दीवारों पर प्रदर्शन।
- आँगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध गाँव के नजरी नक्शे में कुपोषित बच्चों का दर्शाना।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों पर समुदाय आधारित प्रबोधन हेतु सहिया, माता सहायता समूह एवं स्वयं सेवकों की समिति बनाना।
- गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की सूची प्रखण्ड तथा जिला स्तर तक उपलब्ध कराना।
- कुपोषित बच्चे को आँगनबाड़ी केन्द्र पर खिलाना सुनिश्चित करना।
- अति कुपोषित संक्रमण से ग्रसित बच्चों का MTC भेजना।
- MTC से लौटे बच्चों का आँगनबाड़ी सेविका एवं सहिया के सहयोग से घर पर समुचित देखभाल सुनिश्चित करना।

अतः अनुरोध है कि अपने जिले में स्थापित ---- होने वाले कुपोषण उपचार केन्द्रों के संचालन में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने एवं जिले के सभी ----- परियोजनाओं/आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपरोक्त गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए सभी संबंधित ----- निर्देश निर्गत किये जायें।

विश्वासभाजन

a.   
(अलका तिवारी)

सचिव, समाज कल्याण)



## अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान

### पृष्ठभूमि:

अति गंभीर कुपोषण को 5 वर्ष से छोटे बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारण के रूप में पहचाना गया है। अब तक अस्पताल आधारित सेवा द्वारा ही इन बच्चों का उपचार होता रहा है, जिससे सीमित संख्या में ही लाभार्थियों को सेवा दी जा सकती है। हाल के वर्षों में अनुसंधानों एवं परीक्षणों द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि अति गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का उपचार अस्पताल अथवा चिकित्सीय आहार केन्द्र में भर्ती किये बिना समुदाय के बीच रखकर भी सफलता पूर्वक किया जा सकता है।

समुदाय आधारित रणनीति के अनुसार बच्चों में व्याप्त गंभीर कुपोषण की जल्द से जल्द पहचान कर उनमें से चिकित्सीय जटिलता रहित बच्चों को तैयार आहार एवं अन्य उच्च पोषण मूल्य युक्त खाद्य पदार्थ घर पर देकर उनका उपचार किया जा सकता है। इस रणनीति को आवश्यकतानुसार अस्पताल आधारित-रणनीति के साथ समन्वित कर हजारों बच्चों की जान बचाई जा सकती है।

प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में लगभग एक करोड़ बच्चों की गंभीर कुपोषण के कारण मृत्यु हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार सुपोषित बच्चों की तुलना में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की मृत्यु की संभावना 5 से 20 गुना अधिक होती है। परन्तु फिर भी नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। यदि गंभीर कुपोषण संबंधी अस्पताल एवं समुदाय आधारित रणनीतियों को समन्वित रूप से कार्यान्वित किया जाये तो बाल-मृत्यु की दन में प्रभावकारी कमी लायी जा सकती है।

### गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान :

चिकित्सीय जटिलताओं के आरम्भ होने से पूर्व ही समुदाय में अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान बड़ी ही आसानी से निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर की जा सकती है:-

सूचक	मानक	मापदंड
गंभीर सूखा रोग (Severe Wasting)	लम्बाई के अनुपात में वजन	<-3 SD
गंभीर सूखा रोग (Severe Wasting)	तिरंगी पटटी (MUAC)	<11.5 cm
दोनों पैरों में सूजन	चिकित्सी लक्षण	

### दोनों पैरों में सूजन:

यदि बच्चे के दोनों पैरों में सूजन दिखाई दे तो सूजन के स्थान पर अंगुठे से तीन सेकेन्ड तक दबाकर रखें। अंगूठा हटाने पर यदि उस स्थान पर गढ़ा दिखाई दे तो समझना चाहिए कि बच्चे में सूजन के चिकित्सीय लक्षण है एवं बच्चों गंभीर रूप से कुपोषित हैं।

--	--


## ए.एन.एम./आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहिया के लिए दिशा-निर्देश:

- चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाएं अपने क्षेत्र में निवास करने वाले सभी 0–5 वर्ष के बच्चों के बारं हाथ के उपरी हिस्से के बीच की गोलाई (Middle Upper Arm Circumference) को MUAC Tape की सहायता से मापें।
- प्रत्येक बच्चे की MUAC की माप अपनी वृद्धि निगरानी रहिस्टर एवं चार्ट में संबंधित बच्चे के नाम के साथ नोट करें।
- जिन बच्चों के MUAC की माप 11.5 cm से कम हो उनका नाम एवं विवरण संबंधित प्रपत्र में भरकर परियोजना में जमा करें।
- जिन बच्चों के MUAC की माप 11.5 cm से कम हो उन्हें तत्काल अपने जिले के कुपोषण उपचार केन्द्र अथवा चिकित्सीय पोषण पूनर्वास केन्द्र को संदर्भित करें।
- जो गंभीर ग्रस्त बच्चे उक्त केन्द्रों में भर्ती नहीं होंगे उन्हें आंगनबाड़ी सेविका, सहिया अथवा माता सहायता समूह के सदस्यों के साथ जोड़कर घर पर उनकी समुचित देखभाल एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर उन्हें पूरी मात्रा में विशेष रूप से तैयार किया हुआ अतिरिक्त पोषाहार प्रदान करना एवं सेवन करना सुनिश्चित करें।

## एक दिवसीय जिला स्तरीय गंभीर कुपोषण की पहचान एवं प्रबन्धन संबंधी सेमिनार

समय	विषय वस्तु	प्रशिक्षण विधि	प्रशिक्षण सामग्री
10.00–10.30	पंजीकरण		
10.30–10.45	प्रतिभागियों का स्वागत एवं प्रशिक्षण के उद्देश्यों की आनकारी		
10.45–11.00	झारखण्ड में कुपोषण की स्थिति पर चर्चा एवं अति गंभीर कुपोषण के खतरों की जानकारी	व्याख्यान एवं खुली चर्चा	फ़िलप चार्ट फोटोग्राफ
11.00–11.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अति गंभीर कुपोषण—पहचान के मापदण्ड</li> <li>● MUAC टेप के प्रयोग की विधि</li> </ul>	व्याख्यान एवं प्रदर्शन	फ़िलप चार्ट फोटोग्राफ MUAC टेप
11.30–12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● गंभीर कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित प्रबन्धन</li> <li>● MTC से लौट कर आये बच्चों का फॉलो अप</li> </ul>	व्याख्यान	
12.00–12.30	राज्य में चलाये जाने वाले गंभीर कुपोषण की पहचान एवं प्रबोधन संबंधी अभियान की कार्य योजना एवं उक्त कार्य योजना एवं उक्त कार्य योजना में ग्राम स्तरीय टीम की भूमिका	खुली चर्चा	
12.30–01.00	आंगनबाड़ी केन्द्र में अभियान की सूक्ष्म कार्य योजना का निर्माण	समूह कार्य	चार्ट, पेपर, मार्कर
01.00–01.30	समूहों द्वारा सूक्ष्म कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण		
01.30–01.40	धन्यवाद ज्ञापन		





## झारखण्ड सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पत्रांक : 910 (RCH)

दिनांक : 12.8.08

प्रेषक,  
अधीक्षक सह  
राज्य आर.सी.एच.पदा.  
नामकृम, राँची

सेवा में,  
सिविल सर्जन

Bokaro/Chatra/Deoghar/Dhanbad/Dumka/E.Singh/Garhwa/Godda/Gumla/Hazaribagh/Jamtara/Koderma/Lohardaga/Latehar/Pakur/Palamu/Ranchi/Sahebganj/Saraikela/Simdega,W. Singhbhum, Khunti/Ramgarh

विषय : IMNCI के अन्तर्गत Sick Child के Referral हेतु प्रखण्डवार राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

यह सर्वविदित है कि झारखण्ड का IMR-69/1000 live birth (NFHS-3) है। शिशु में मृत्यु का प्रमुख कारण 0–2 माह के शिशुओं में

1. Pre maturity
2. Asphyxia
3. hypothermia
4. Sepsis

2 माह से 5 साल के बच्चों में

1. Diarrhoea
2. pneumonia
3. Sepsis
4. Malaria
5. malnutrition
6. Measles

शिशुओं की सबसे ज्यादा मृत्यु जीवनकाल के प्रथम माह में होती है। अगर समुचित इलाज समय पर उपलब्ध रहे तो शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है।

झारखण्ड राज्य में 0.5 साल के बीमार बच्चों (Sick Child) जिनका समुचित इलाज CHC में नहीं हो सकता है उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु Referral transport के मद में प्रखण्डवार 10,000 रु. उपलब्ध कराई जा रही है जो ड्राफ्ट सं ..... दिनांक ..... राशि .....

इस राशि को बीमार बच्चों (Sick Child) इलाज हेतु उच्चतर संस्थान में भेजने के लिए Ambulance के POL क्रय करने या निजी वाहन के भाड़े हेतु प्रति Sick Child 300/- रु. उपयोग में लाया जा सकता है। प्रखण्ड राशि का समुचित उपयोग करके मासिक प्रतिवेदन जिला को उपलब्ध करायें ताकि जिला समेकित SOE राज्य को भेज सके।

Sick Child के Referral का मासिक प्रतिवेदन का प्रारूप

प्रखण्ड : ..... जिला : .....

माह : ..... वर्ष : 08-09

#### Financial Achievement

प्रखण्ड का नाम	1.4.08 का Opening Balance	वर्ष 08-09 में प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	माह ..... में खर्च	अप्रैल से माह ..... तक का कुल खर्च	शेष
A	B	C=(A+B)	D	E	F=(C-E)	

#### Physical Achievement

प्रखण्ड का नाम	माह ..... Sick Child रेफर किया गया	संभावित निदान (Provisional Diagnosis)	अप्रैल -08 अब तक कुल कितने बिमार बच्चे रेफर किये गये

विश्वासभाजन

*Wbkt अब०८*

(डा. विजय शंकर नारायण सिंह)

अधीक्षक सह राज्य आर.सी.एच.पदा.

#### प्रतिलिपि :

- श्री सुजीत रंजन, राज्य प्रतिनिधि केयर को सूचनार्थ
- डा. मधुलिका, P.O.Unicef को सूचनार्थ।
- सुश्री संगीता जैकब Unicef को सूचनार्थ।

# आराधना पटनायक

भा.प्र.से.

## अभियान निदेशक

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड

फोन : 91-651-2261000, 2261001

फैक्स : 91-651-2490314, 2261856

ईमेल : nrhmjharkhand@yahoo.com



स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

झारखण्ड सरकार

राजकीय टीकौषणि संस्थान परिसर

आर.सी.एच. नामकुम, रांची - 834010

पत्रांक : 9/RCH-227/2011- 644 (MD)

दिनांक : 25.6.11

सेवा में,

1. निदेशक, रिस्स, रांची
2. अधीक्षक, पाटलीपुत्रा मेडिकल कॉलेज, धनबाद
3. अधीक्षक, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर
4. सिविल सर्जन,  
बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दूमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरीडीह, गोड़डा, गुमला, हजारीबाग,  
जामताडा, खुटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू रामगढ़, रांची, साहेबगंज,  
सरायकेला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम
5. प्राचार्या, ANMTC –देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गिरीडीह, हजारीबाग, पलामू, रांची, सिमडेगा,  
पं. सिंहभूम  
झारखण्ड।

विषय : वर्ष 11–12 के लिए Child Health हेतु वित्तीय मार्गदर्शिका।

महाशय,

वर्ष 11–12 हेतु Child Health की वित्तीय मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न है। मार्गदर्शिका के अनुसार खर्च करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसका SOE राज्य मुख्यालय को प्रतिमाह उपलब्ध करायेंगे।

अनुलग्नक :

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1. वित्तीय मार्गदर्शिका                       | : | 3 पृष्ठों में |
| 2. सहिया को प्रोत्साहन राशि देने हेतु प्रपत्र | : | 1 पृष्ठ       |
| 3. Emergency Drug Kit की सूची                 | : | 1 पृष्ठ       |
| 4. जिलावार आवंटन                              | : | 6 पृष्ठों में |
| 5. वित्तीय प्रतिवेदन प्रपत्र                  | : | 1 पृष्ठ।      |

*15.6.11*  
(अभियान निदेशक)



## अनुलग्नक : 1

### वर्ष 11-12 में Child Health के लिए राशि खर्च करने हेतु मार्गदर्शिका

क्रस	कार्यक लाप	Norms	विवरण
1	IMNCI	Operational Cost IMNCI Rs. 2000 per month	IMNCI Operationalisation : यह रु. 2000/- प्रतिमाह के दर से Integrated Management of Neonatal and Child hood illness (IMNCI) कार्यक्रम के ANMTC/Medical College/ जिला मे ट्रेनिंग हेतु Contingency के रूप मे खर्च किया जाना है। जैसे Photo copy of Training Material इत्यादि।
2	MTC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operational cost for MTC = ₹ 32400/month</li> <li>• Operational cost for Existing</li> </ul>	<p>1. बजट निम्नवत है:</p> <p>2. MTC/MTEC हेतु सहिया प्रोत्साहन राशि के व्यय की मार्गदर्शिका MTC हेतु निम्नवत खर्च की जाएगी।</p> <p>सहिया को यह राशि प्रत्येक समुदाय में गभीर रूप से कुपोषित (Severe Acute Malnutrition) बच्चों को MTC भेजने हेतु तथा MTC से Discharge होने के पश्चात पन्द्रह-पन्द्रह दिनों मे 3 Follow up करवाने के पश्चात ही ₹ 200 / SAM बच्चे, सहिया को दिया जाएगा। इस SAM बच्चे के वजन की MCP कार्ड मे दर्ज होना चाहिये। सहिया को देय प्रोत्साहन राशि अनुलग्नक 1 के रूप मे सलग्न है।</p>

### कृपोषण उपचार केन्द्र (MTC) हेतु बजट

S.No.	Activity	Unit	Expenditure per month
I	Raw Materials	Rs @ 25/child/day *6 children * 30 days	4,500
II	Record maintenance and photography of each child admitted in MTC	Rs. @ 2000/- per MONTH	2,000
III	Support to family members with wage compensation	Rs. @ 100/- per day x 30 days x 6 families	18,000
IV	Provision for misc. expenditures, cleaning materials, gas refilling, xerox, stationary etc	Rs. @ 2500/ per month	2,500
	Advance treatment other than hospital	Rs. @ 250 per child for 12 children	3,000
	Incentive to frontline worker for referral and follow up to MTC	Rs@200 per child x 12 children per month	2,400
	<b>Total</b>		<b>32400</b>

क्रस	कार्यकलाप	Norms	विवरण
3	MTEC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MTEC@₹52500/-month</li> <li>• Operational cost for New MTEC @ ₹ 52500/- month from Oct'11 to March'12</li> </ul>	बजट निम्नवत है:

Budget for Ten bedded MTECs		
Activity	Unit	Expenditure per month
<b>Raw Materials</b>	Rs @ 25/child/day *10 children * 30 days	7,500
<b>Record maintenance and photography of each child admitted in MTEC</b>	Rs. @ 3000/- per MONTH	3,000
<b>Support to family members with wage compensation</b>	Rs. @ 100/- per day x 30 days x 10 families	30,000
<b>Provision for misc. expenditures, cleaning materials, gas refilling, xerox, stationery etc</b>	Rs. @ 3000/ per month	3,000
<b>Advance treatment other than hospital</b>	Rs. @ 250 per child for 20 Children	5,000
<b>Incentive to frontline workers for referral and follow up to MTEC</b>	RS@200 per child x20 children per month	4,000
<b>Total</b>		<b>52,500</b>

क्रस	कार्यकलाप	Norms	विवरण
4	<b>Referral Transport</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Functional CHC@ ₹10000/CHC for upreferral ₹500/Sick child</li> <li>• Functional District Hospital@ ₹20000/CHC for upreferral ₹ 500/Sick child</li> </ul>	किसी बीमार एवं कुपोषित बच्चे को इलाज हेतु उच्च सुविधा (Facility) मे भेजने हेतु अधिकतम ₹ 500 खर्च किया जा सकता है। इस राशि का उपयोग Ambulance के POL या वाहन भाड़े मे लेने हेतु किया जा सकता है।
5	<b>MCP Card orientation and Biann. Round</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• District Level Orientation of Bi annual Vit. A round @₹2000/round/CHC twice in a year JMSSPM</li> </ul>	Bi-annual Vit. A Round : प्रत्येक CHC मे Bi-annual Vit. A Round के Workshop हेतु ₹. 2000/- प्रति CHC प्रति चक्र से दो चक्र हेतु यह राशि Bi-annual round के

क्रमांक	कार्यकलाप	Norms	विवरण
6.	Minor Civil Work	• Minor Civil Work for MTC & MTEC @ ₹20000/-	Orientation meeting हेतु दी जा रही है। इसका खंचे Orientation Meeting के Contingency के रूप में करेगा। इस राशि का खंचे MTC एवं MTEC के परम्परी एवं रगदोगण के क्रय हेतु किया जाना है।
7.	IEC/BCC	• Rs 10000 per month*12	IEC/BCC कुपोषण, टीकाकरण, तालं चालं आदि हेतु जानकारी पम्पलेट, नुकड़ नाटक, डीवार लेखन, पोस्टर, बैनर तथा Children Friendly Hospital बनाने हेतु यह राशि 10000/- प्रतिमाह प्रति जिला दी जा रही है। IEC के लिए Multimedia Campaign एवं Print Media और Mass Media का उपयोग किया जा सकता है।
8.	Drugs & Supplies for Child Health	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drug kit for FRU/CHC@ 2000/kit</li> <li>• Zero Diarrhea death Programme (ORS-Zinc Bleaching Powder, IV set)</li> <li>• Anti-Rabies Vaccine</li> <li>• Drug for IMNCI (Co-trimoxazole, ORS etc.)</li> <li>• Consumables &amp;</li> <li>• Maintenance of NBC</li> <li>• Consumables &amp;</li> <li>• Maintenance of NSU</li> <li>• Consumables &amp;</li> <li>• Maintenance of SNCU</li> <li>• Procurement of Albendazole</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>विहित प्रक्रिया का अध्यात्मे कुटे कर किया जाना है।</li> <li>FRU/CHC kit की भूमि अनुसारक-3 मि. सालान है।</li> <li>IMNCI ने प्रयोग होने वाले दवाएं जैसे ORS, Paracetamol, cotrimexazole etc. का क्रय किया जाना है।</li> </ol>



